उत्तर प्रदेश संदेश

मार्च-अप्रैल, 2017 (संयुक्तांक) वर्ष 28, अंक 1

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मा. नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करते हुए।

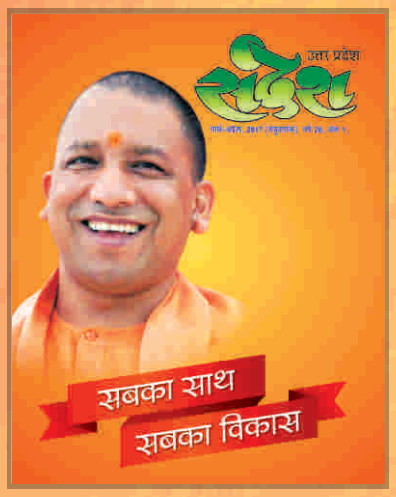

उत्तर प्रदेश
सन्देश

मार्च-अप्रैल, 2017 (संयुक्तांक)
वर्ष 28, अंक 1

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
सुधेश कुमार ओझा
सूचना निदेशक,
उत्तर प्रदेश

सम्पादकीय परामर्श :
सै. अमजद हुसेन, संयुक्त निदेशक
हेमन्त कुमार सिंह, उप निदेशक

सम्पादक :
चन्द्र शेखर यादव

सज्जा :
अतुल ग्राफिक्स
76, नया गांव (पूर्व)
एम.एल. बोस मार्ग,
लखनऊ

छायाचित्र :
फोटो शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र.

मुद्रक :
पवन कुमार गोयल
अतुल ग्राफिक्स
76, नया गाँव (पूर्व)
एम.एल. बोस मार्ग
लखनऊ

उत्तर प्रदेश
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित
भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

आवरण कथा 01
- सबका साथ–सबका विकास .....
- समाज के हर वर्ग का विकास .....
- उपस्थिति दर्ज कराने हेतु .....
- लोक कल्याण संकल्प–पत्र .....

स्वच्छ प्रशासन 10
- सभी मंत्रियों से मर्यादित आचरण .....
- लोक कल्याण संकल्प–पत्र 2017 .....
- प्रदेश को विकास और खुशहाली .....

क़ानून व्यवस्था 18
- गो तस्करी पर अविलम्ब पूर्ण .....
- क़ानून का राज प्रदेश सरकार .....
- क़ानून व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त.....
- शक्ति पीठों में दर्शनार्थियों के .....

स्वास्थ्य 33
- 'एडवांस लाई सपोर्ट एम्बुलेन्स सेवा' .....
- के.जी.एम.यू. को एम्स की तर्ज पर .....
- योग का मार्ग लोक कल्याण और .....

कृषि 39
कृषि कल्याणकारी योजनाओं .....

शिक्षा 41
शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के .....

राहत 43
महोबा ट्रेन दुर्घटना में घायल .....

निरीक्षण 44
- गोमती रिवरफ्रंट विकास .....
- मुख्यमंत्री द्वारा 15 जून तक .....

फ़ैसले 48
- पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश .....
- अप्रैल माह में सरकार द्वारा लिए .....

11 मार्च, 2017 के दिन भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिलने के बाद गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाकर ताजपोशी कर दी गयी। सांसद योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के एलान के पश्चात् पूरे प्रदेश में जबर्दस्त खुशी की लहर दौड़ गयी। अब प्रदेश में एक सन्त के शासन के सहारे सामजिक समरसता का वातावरण तैयार करके ''सबका साथ, सबका विकास'' के नारे को चरितार्थ करके आगे के लिए मार्ग प्रशस्त किया जायेगा। संत योगी के शासन के सहारे समूचे प्रदेश में अभूतपूर्व बदलाव की बयार बहेगी, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नही है।

योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना भारतीय राजनीति के नये अध्याय की शुरूआत है। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कई प्रचलित धारणाओं और राजनीतिक मान्यताओं को तोड़ेगा, अब समाज ज्यादा समरस बनेगा। सात दशकों से जिस तरह की राजनीति देखने की आदत हो गई है, वह देखने को नहीं मिलेगी। विपक्षी दलों को यह याद रखना होगा कि योगी की कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, जिसके कारण उन्हें समझौता करना पड़े। पद उनके लिए दायित्व है। उत्तर प्रदेश के आम लोगों की आकांक्षा ही उनकी महत्वाकांक्षा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सांसद के रूप में लोकसभा में अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का संकल्प व्यक्त करने के साथ यह भी कहा है कि वह राज्य में कानून एवं व्यवस्था में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और इसे धरातल पर उतारकर दिखा भी दिया है।

उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान के दौरान प्रदेश की जनता से किये गये वादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में छोटे एवं सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करना लोक कल्याण संकल्प-पत्र का एक हिस्सा है। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब तक के निर्णयों को देखते हुए प्रदेशवासी आशान्वित हैं कि उनके संरक्षण में प्रत्येक धर्म, सम्प्रदाय और जाति के व्यक्ति सुरक्षित होंगे और गोवंश का संरक्षण होगा।

चन्द्र शेखर यादव
सम्पादक

'सबका साथ – सबका विकास'

- समाज के सभी वर्गों और राज्य के प्रत्येक नागरिक व क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश देश का एक उत्कृष्ट राज्य होगा, जो भ्रष्टाचार, दंगों, अराजकता व गुण्डागर्दी से मुक्त होगा।
- विकास का एक ऐसा मॉडल दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा।
- डिजिटल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि योजनाओं के जरिए देश और दुनिया में भारत एक आदर्श मॉडल के रूप में सबके सामने प्रस्तुत हुआ है।
- मुख्यमंत्री ने लोक सभा में सांसद के रूप में वित्त विधेयक पर चर्चा की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य के अन्दर 'सबका साथ, सबका विकास' की तर्ज पर विकास का एक नया ढांचा देगी, जिसके तहत समाज के सभी वर्गों और राज्य के प्रत्येक नागरिक व क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का एक उत्कृष्ट राज्य होगा, जो भ्रष्टाचार, दंगों, अराजकता व गुण्डागर्दी से मुक्त होगा। विकास का एक ऐसा मॉडल दिया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। माताओं और बहनों की सुरक्षा होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपनों को साकार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने लोक सभा में सांसद के रूप में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान बोलते हुए कहा कि पिछले 03 वर्षों में दृढ़ता के साथ देश की विकास दर को आगे बढ़ाकर और एक कल्याणकारी सरकार की स्थापना कर सुशासन स्थापित करने में केन्द्र की मोदी सरकार सफल हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 03 वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने विकास दर को 8.5 प्रतिशत तक ले जाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि जन–धन योजना के माध्यम से देश के अन्दर 25 करोड़ गरीब परिवारों के खाते खोलना, देश के गरीबों के प्रति सरकार की सोच का प्रदर्शित करता है। उन्होंने डिजिटल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि की चर्चा करते हुए कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से देश और दुनिया में भारत एक आदर्श मॉडल के रूप में सबके सामने प्रस्तुत हुआ है।

श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का दायित्व उन्हें सौंपा गया है, जिसका वे निर्वहन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों के दौरान केन्द्र की मोदी सरकार ने ढाई लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिए, लेकिन इस दौरान मात्र 78 करोड़ रुपए ही उत्तर प्रदेश के अन्दर व्यय हो पाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 26 वर्षों से बन्द था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस कारखाने का कार्य शुरू कराया और वर्ष 2019 के पहले खाद उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जनपदों की पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर को एम्स जैसा संस्थान दिया।

समाज के हर वर्ग का विकास

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केन्द्र सरकार की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी 'सबका साथ, सबका विकास' की तर्ज पर कार्य करेगी। विकास में प्रदेश की समस्त जनता की सहभागिता होगी और यह प्रयास होगा कि समाज के जिस वर्ग के कल्याण के लिए जो भी योजना बने, उसका शत–प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक अवश्य पहुंचे।

मुख्यमंत्री गोरखपुर भ्रमण के दौरान महाराणा प्रताप इण्टर कॉलेज के मैदान में आयोजित स्वागत एवं अभिनन्दन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रचण्ड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए जाने के लिए कठोर

कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, तो वह कठोर दण्ड का भागी होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर पाबन्दी का अभियान शुरू हो गया है और इसके परिणाम दिखाई पड़ने लगे हैं।

श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश से जो भी व्यक्ति कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएगा, उसे 01 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में प्रदेश की सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों से शत–प्रतिशत गेहूं खरीद तथा गेहूं मूल्य के तत्काल भुगतान के लिए शासन स्तर पर कार्य योजना बनाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के अभाव में पलायन कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही थीं। अब उत्तर प्रदेश की जनता अपने–आप को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकती। बेरोजगार नौजवानों के पलायन को रोका जाएगा। शासन की योजनाओं को अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग का विकास किया जाएगा और किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा। लोक कल्याण संकल्प–पत्र के सभी वादों को शत–प्रतिशत पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा और अराजकता का कहीं कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने कानून का राज स्थापित करने में सभी से सहयोग करने की अपील की।

इसके पूर्व, मुख्यमंत्री के गोरखपुर आगमन पर वहां की जनता द्वारा उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर मुख्य कार्यक्रम स्थल महाराणा प्रताप इण्टर कॉलेज तक सड़क के दोनों ओर लाखों लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनन्दन किया। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि परिश्रम और जनसहयोग के आधार पर वे उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कोर–कसर बाकी नहीं रखेंगे।

- **केन्द्र सरकार की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी 'सबका साथ–सबका विकास' की तर्ज पर कार्य करेगी।**
- **विकास में प्रदेश की समस्त जनता की सहभागिता होगी।**
- **कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, तो वह कठोर दण्ड का भागी होगा।**
- **उत्तर प्रदेश में ऐसा वातावरण बनेगा, जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करेगा।**
- **किसानों से शत–प्रतिशत गेहूं खरीद तथा गेहूं मूल्य के तत्काल भुगतान के लिए शासन स्तर पर कार्य योजना बनाई जा रही है।**
- **बेरोजगार नौजवानों के पलायन को रोका जाएगा और शासन की योजनाओं को अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।**
- **समाज के हर वर्ग का विकास किया जाएगा और किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा।**
- **उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा और अराजकता का कहीं कोई स्थान नहीं होगा।**
- **मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित स्वागत एवं अभिनन्दन समारोह को किया सम्बोधित।**

उपस्थिति दर्ज कराने हेतु बायोमैट्रिक व्यवस्था के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय विभागों में काम चलाऊ व्यवस्था को तत्काल बंद करने के साथ ही पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यालयों के रख–रखाव को तत्काल सुधारने पर बल देते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में पहुंचने पर लोगों को सुखद अनुभूति होने के साथ ही जनता को राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालयों में उपस्थित रहें। पत्रावलियों का रख–रखाव ठीक ढंग से किया जाए। फाइलों की इन्डेक्सिंग करते हुए उसमें पटलवार फाइल प्राप्त होने तथा निस्तारित होने की तिथि निर्धारित की जाए। सभी विभागों के सिटीजन चार्टर तैयार करके उन्हें लागू किए जाएं।

मुख्यमंत्री शास्त्री भवन स्थित सभागार में अपने विभागों

से सम्बन्धित मंत्रिगणों एवं प्रमुख सचिव/सचिव के साथ समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि कक्षों में सी.सी. टीवी कैमरे भी लगाए जाएं, जिससे हाजिरी लगाकर अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने सचिवालय में प्रवेश के लिए अनावश्यक एवं गैर जरूरी निर्गत किए गए प्रवेश–पत्र को तत्काल निरस्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था संसद की तरह सुनिश्चित की जाए, ताकि दलाल एवं गलत कार्य कराने वाले यहां प्रवेश न पा सकें। जनता की समस्याओं के त्वरित एवं गुणात्मक निस्तारण का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों की कार्य पद्धति में सुधार दिखना चाहिए।

श्री योगी ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की चर्चा करते हुए कहा कि इस मामले में अभी तक असहयोगात्मक रुख अख्तियार करते हुए जनता को इसके लाभ से वंचित रखा गया है। इस सम्बन्ध में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि इस कार्य को नगर विकास विभाग से लेकर आवास विकास विभाग को दिया जाए, जिससे इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को दिलाया जा सके। इसी प्रकार कांशीराम आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने एवं पारदर्शी ढंग से प्राथमिकता के आधार पर आवासहीनों में आवंटित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

केन्द्र सरकार द्वारा सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाने वाली जेनेरिक दवाओं से सम्बन्धित योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत प्रदेश में मात्र 150 दुकानें ही खुली हैं। इससे केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ राज्य की जनता को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया कि इस योजना के तहत कम से कम 03 हजार दुकानें खुलवाने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खराब स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति संतोषप्रद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बहुत खराब है और एक प्रकार से यह कृत्य मानवता के खिलाफ अपराध भी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस सड़ी–गली व्यवस्था को सुधारने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए।

मुख्यमंत्री ने किसानों से सम्बन्धित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि हर हालत में किसानों को राहत पहुंचायी जानी चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि किसानों से सम्बन्धित योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गेहूं क्रय केन्द्रों के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि गेहूं खरीद की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में प्रेषित की जाए। गलत व्यक्तियों द्वारा योजना का लाभ उठाने से रोकने के लिए आधार जैसी व्यवस्था को जरूरी किया जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की गेहूं क्रय नीति के अध्ययन के लिए एक टीम भेजी जाए। साथ ही, वहां के अनुभवों को लागू करने के लिए टीम की संस्तुति पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यालय पर बैठकर गेहूं क्रय नीति को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए अधिकारियों को सीधे क्रय केन्द्रों पर जाकर फीडबैक लेना चाहिए। इसके साथ ही, विभाग द्वारा मात्र 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद को नाकाफी बताते हुए उन्होंने कहा कि अधिकतम किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने गेहूं खरीद की मात्रा एवं बैंक खाते में भेजी गयी धनराशि से सम्बन्धित संदेश किसानों के मोबाइल पर भेजने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

श्री योगी ने प्रदेश की सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में सहकारी समितियों की भूमिका को लगभग नगण्य कर दिया गया है। इससे किसानों को समय से खाद, बीज एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सहकारी समितियों की खराब स्थिति का लाभ बिचौलिये उठा रहे हैं। उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि इस मामले में तत्काल कदम उठाते हुए सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाए, जिससे किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सके। इसी प्रकार 16 बंद कोऑपरेटिव बैंक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि राजनैतिक हस्तक्षेप की वजह से इन बैंक शाखाओं की हालत खराब हुई, जिसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा इनके लाइसेंस जब्त किए गए, जिसमें जनता की काफी धनराशि फंसी है। उन्होंने प्रमुख सचिव सहकारिता को इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का निर्देश दिया है।

बाढ़ एवं सूखा राहत के लिए समय से पूर्व तैयारी करने का निर्देश देते हुए श्री योगी ने स्पष्ट किया कि सूखा एवं बाढ़ से होने वाली जन हानि के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी एवं स्पष्ट व्यवस्था निर्धारित करते हुए 15 जून तक बाढ़ की तैयारियों को प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाए, जिसमें बिचौलियों को कतई जगह नहीं दी जानी चाहिए। इसी प्रकार सूखा राहत विशेष रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए तैयारी मुकम्मल की जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत की तैयारी के लिए अपराधी प्रवृत्ति के पंजीकृत ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनका पंजीयन निरस्त कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विगत में विभाग के कई अधिकारियों को अपराधी प्रवृत्ति के ठेकेदारों की वजह से अपने प्राण गंवाने पड़े। यह स्थिति वर्तमान सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के माध्यम

से सभी विभागों को निर्देशित किया है कि सरकारी कार्यों के निस्तारण के लिए उनके विभागों में पंजीकृत दागी फर्मों एवं माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त करके इसके स्थान पर पारदर्शी एवं गुणवत्तापरक कार्य करने वाली संस्थाओं को मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार के राजनैतिक दबाव को नजरंदाज करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।

अवैध खनन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भी कई जनपदों से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने प्रमुख सचिव खनन एवं गृह को निर्देशित किया कि जहां से भी शिकायतें प्राप्त हों, वहां सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन जनपदों से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हों, वहां के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाए। इसी प्रकार अवैध स्लॉटर हाउसों के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं भेदभाव रहित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों, तस्करों, भू माफियाओं आदि पर बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एण्टी रोमियो स्क्वॉयड के लिए स्पष्ट गाइड लाइन तैयार करने का निर्देश प्रमुख सचिव गृह को देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई युवक और युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई कतई न की जाए। इसी प्रकार एसिड अटैक के मामले में कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, प्रतिदिन सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक से इन सभी मामलों को सम्मिलित करते हुए कानून व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की जाए। थानों के बाहर अनिस्तारित वाहनों के कबाड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इन वाहनों को तत्काल निस्तारित किया जाए और यदि कतिपय कारणों से निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें दूसरे स्थानों पर रखा जाए। इसी प्रकार वाहन चोरों के सक्रिय गिरोहों पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि थानों एवं तहसीलों में फरियादियों के लिए बैठने एवं पानी पाने की व्यवस्था अवश्य की जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य सरकार 100 दिनों के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनता से मिलने और उनकी समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करेगी।

भाषा विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करते हुए श्री योगी ने निर्देशित किया कि प्रदेश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं एवं संस्कृतियों के विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए, तभी समग्र रूप से उत्तर प्रदेश की छवि, देश एवं दुनिया में लोगों के सामने आ पाएगी। उन्होंने भाषा विभाग में राजनैतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रतिबंधित करने का निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए रणनीति तैयार की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के बीच सम्पत्तियों एवं कार्मिकों के बंटवारे से सम्बन्धित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई करने एवं सचिवालय की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए।

लखनऊ मेट्रो की जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी एवं कानपुर मेट्रो के सम्बन्ध में कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ायी जाए। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए तेजी से डी.पी.आर. तैयार कराकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान राज्य सरकार एक वर्ष के भीतर इन सभी नगरों में मेट्रो का कार्य शुरू कराने के लिए कृतसंकल्पित है।

- कक्षों में सी.सी. टीवी कैमरे भी लगाए जाएं।
- जनता की समस्याओं का त्वरित एवं गुणात्मक निस्तारण किया जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य नगर विकास विभाग से लेकर आवास विकास विभाग को देने का निर्देश।
- राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए।
- सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाली जेनेरिक दवाओं की 3 हजार दुकानें खोलने की व्यवस्था की जाए ।
- गेहूं खरीद की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- गेहूं खरीद लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन किया जाए।
- किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाए।
- सूखा एवं बाढ़ से होने वाली जन हानि के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।
- पंजीकृत दागी फर्मो एवं माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त कर अच्छी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को मौका दिया जाए।
- अवैध खनन की शिकायतों के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीधे जिम्मेदार होंगे।
- अपराधियों, तस्करों, भू माफियाओं आदि पर बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
- युवक और युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कतई न की जाए।
- थानों एवं तहसीलों में फरियादियों के लिए बैठने एवं पानी पीने की व्यवस्था अवश्य की जाए।
- प्रदेश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं एवं संस्कृतियों के विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए।
- भाषा विभाग में राजनैतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए।
- इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए तेजी से डी.पी.आर. तैयार किया जाए।
- मुख्यमंत्री ने शास्त्री भवन स्थित सभागार में अपने विभागों से सम्बन्धित मंत्रिगणों एवं प्रमुख सचिव/सचिव के साथ समीक्षा बैठक।

लागू करने के कड़े निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि लोक कल्याण संकल्प–पत्र–2017 में किए गए वादों पर विश्वास करके राज्य की जनता ने इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया है। इसलिए संकल्प–पत्र के सभी बिन्दुओं को पूरी गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने नई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए अधिकारियों से 15 दिनों में अपनी सम्पत्तियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने एवं जनसामान्य को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री लोकभवन में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि प्रदेश में संवेदनशील, जवाबदेह, ऊर्जावान एवं प्रगतिशील व्यवस्था देने के लिए संकल्पित हों। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि संवेदनशील एवं ईमानदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की जाए। पक्षपात रहित काम करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग का सिटीजन चार्टर तैयार किया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी को राज्य सरकार की सेवाएं निर्धारित समय एवं व्यवस्था के अनुरूप मिल सकें।

प्रदेश में कानून–व्यवस्था का जिक्र करते हुए श्री योगी ने अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि थानों एवं तहसीलों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को राजनैतिक दबावों से मुक्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 90 फीसदी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति थानों एवं तहसीलों के माध्यम से ही होती है, इसलिए इन पर विशेष निगाह रखी जाए। कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान समय से किया जाए। अनाजों के उत्पादन के सुरक्षित भण्डारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही, कृषि आधारित उद्योग–धन्धों को बढ़ावा देने के लिए गम्भीरता से काम किया जाए।

प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने तथा नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जरूरी निर्णय

लेने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल विण्डो सिस्टम की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्टार्टअप एवं कौशल विकास योजनाओं को भी प्रभावी रूप से लागू किया जाए, जिससे प्रदेश में निवेश का वातावरण बन सके। प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा काफी पीछे छूट गया है। राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता का अभाव है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सफाई कर्मियों की उपलब्धता के बावजूद स्वच्छता में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। इस दिशा में तत्काल कार्य करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि दिसम्बर–2017 तक प्रदेश के 30 जनपदों में स्वच्छता मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जाए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को स्वच्छता–शपथ दिलाते हुए भरोसा जताया कि उनके (अधिकारियों) स्तर से शपथ के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इससे पूर्व, उन्होंने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया।

श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश का बजट तैयार करते समय लोक कल्याण संकल्प–पत्र में दिए गए बिन्दुओं का ध्यान रखा जाए, जिससे जनता को समय से वादों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने अधिकारियों से भ्रष्टाचार एवं गुण्डाराज से मुक्त पारदर्शी प्रशासन देने के निर्देश देते हुए कहा कि टीम भावना से कार्य करते हुए प्रदेश को 5 वर्षों में अग्रणी राज्यों में शामिल करने का प्रयास किया जाए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने लोक भवन में आयोजित एक बैठक में अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनता ने 'गुड गवर्नेंस' के लिए हमें प्रचण्ड बहुमत दिया है। इसलिए अब हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि लोगों को हम ऐसी चुस्त–दुरुस्त व्यवस्था उपलब्ध कराएं, जिसमें उनके सभी कार्यों एवं समस्याओं का त्वरित निस्तारण सम्भव हो सके और उन्हें राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से मर्यादित आचरण करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपने आवंटित विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों से सामंजस्य स्थापित करते हुए विभागों की कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं। लोगों की समस्याओं के निदान के लिए यह आवश्यक है कि सभी विभाग प्रभावी रूप से काम करें। विभागों में किसी भी कार्य को करने के लिए निर्धारित समय–सीमा निश्चित की जाए और उसका चार्टर तैयार किया जाए। इसी प्रकार पत्रावलियों का निपटारा भी समयबद्ध ढंग से किया जाए। पत्रावलियों की इन्डेक्सिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

श्री योगी ने कहा कि मंत्रियों/जनप्रतिनिधियों का सभी से व्यवहार सद्भावनापूर्ण एवं गरिमापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने

अपने मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों से कार्यालय समय का अनुपालन तथा कार्यालय में अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि विभागीय मसलों पर आवश्यक दिशा–निर्देश आमने–सामने दिये जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रिगण अपने कार्यालय 09:30 बजे पहुंचकर आधे घण्टे का समय कार्यालय परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करने में नियमित रूप से लगाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को प्रधानमंत्री द्वारा अत्यधिक प्रमुखता दी गयी है, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसे हर स्तर पर सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों में स्वच्छता की शपथ दिलवाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों के परिसर में गुटखा, पान, धूम्रपान इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए, साथ ही कार्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। कार्यालय में आने–जाने के समय 09:30 बजे से शाम 6 बजे तक का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अनुशासनहीन अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए यह आवश्यक है कि सभी कार्यालय अपने–अपने दायित्वों का निर्वाह भली–भांति करें। सभी विभागों में 'सिटिज़न चार्टर' लागू किये जाएं और उनका

श्री योगी ने कहा कि पुलिस थानों ने अपने स्तर पर ही एण्टी रोमियो स्क्वायड गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी इसे और प्रभावी तथा व्यापक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में ऐसे स्थलों को चिन्हित कर लिया जाए, जहां पर ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं और वहां पर एक महिला कांस्टेबिल को सादे कपड़ों में तैनात किया जाए। साथ ही, कुछ और कांस्टेबिलों को सादे कपड़ों में तैनात किया जाए ताकि घटना घटित होते ही तुरन्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किसी लड़के–लड़की को अनावश्यक परेशान न किया जाए। पूरे जिले में पुलिस वाले लगातार गश्त करें ताकि महिलाओं को रात में भी आने–जाने में कोई दिक्कत न हो।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लोगों से सम्पर्क और संवाद स्थापित किया जाए। सभी मंत्री अपने साथ एक ऐसा टेक्नोक्रैट रखें, जो सोशल मीडिया के प्रयोग में पारंगत हो और लोगों तक सही जानकारी शीघ्रता से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में रिटायर्ड लोगों के री–इम्प्लॉयमेण्ट की समीक्षा की जाए और यदि किसी व्यक्ति के पास कोई विशेषज्ञता है तभी उस पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने शीघ्र ही सरकारी नौकरियों पर भर्ती कराने के लिए कहा।

की ई भी के । ने ने

के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन बूचड़खानों के पास लाइसेंस है, उसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। यदि लाइसेंस होल्डर द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे बूचड़खानों को तुरन्त बन्द करने की कार्रवाई की जाए। गैर–लाइसेंसी मीट शॉप को भी तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल से इन दुकानों की उचित दूरी हो। उन्होंने मुख्य सड़कों, अन्य सड़कों व अप्रोच रोड इत्यादि के नजदीक भी मांस की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने खुले में मांस की बिक्री को जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताया।

श्री योगी ने इलाहाबाद शहर की सभी स्ट्रीट लाइटों को एल.ई.डी. लाइट्स से तत्काल रिप्लेस करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन और विकास के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश की छवि निखारने तथा कमजोर एवं गरीब वर्गों का जीवन स्तर बेहतर बनाने का कार्य करेगी। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प को साकार करने के लिए हम सबको टीम भावना के साथ कार्य करना है।

- जनता ने 'गुड गवर्नेंस' के लिए हमें प्रचण्ड बहुमत दिया है : मुख्यमंत्री
- लोगों को चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी ज़िम्मेदारी ताकि लोगों के सभी कार्यों एवं समस्याओं का त्वरित निस्तारण सम्भव हो सके और उन्हें राहत मिल सके : आदित्यनाथ योगी
- मंत्रिगण आवंटित विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों से सामंजस्य स्थापित करते हुए विभागों की कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं।
- लोगों की समस्याओं के निदान के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सभी विभाग प्रभावी रूप से काम करें : मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में स्वच्छता की शपथ दिलवाने के लिए भी कहा।
- कार्यालय में आने-जाने के समय 09:30 बजे से शाम 6 बजे तक का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- सभी विभागों में 'सिटिज़न चार्टर' लागू किये जाएं।
- रिटायर्ड लोगों के री-इम्प्लॉयमेण्ट की समीक्षा की जाए।
- मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद लिये गये सभी फैसलों की समीक्षा के लिए कहा।
- कई मदों में रिलीज होने वाली धनराशि की भी समीक्षा होगी।
- पाँच करोड़ रु0 से ऊपर के भुगतान की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाए।

लोक कल्याण संकल्प–पत्र–2017 को लागू करने को शीर्ष प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि लोक कल्याण संकल्प–पत्र–2017 में किए गए वादों पर विश्वास करके राज्य की जनता ने इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया है। इसलिए संकल्प–पत्र के सभी बिन्दुओं को पूरी गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने नई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए अधिकारियों से 15 दिनों में अपनी सम्पत्तियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने एवं जनसामान्य को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री लोकभवन में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि प्रदेश में संवेदनशील, जवाबदेह, ऊर्जावान एवं प्रगतिशील व्यवस्था देने के लिए संकल्पित हों। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि संवेदनशील एवं ईमानदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की जाए। पक्षपात रहित काम करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग का सिटीजन चार्टर तैयार किया जाना चाहिए,

ताकि आम आदमी को राज्य सरकार की सेवाएं निर्धारित समय एवं व्यवस्था के अनुरूप मिल सकें।

प्रदेश में कानून–व्यवस्था का जिक्र करते हुए श्री योगी ने अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि थानों एवं तहसीलों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को राजनैतिक दबावों से मुक्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 90 फीसदी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति थानों एवं तहसीलों के माध्यम से ही होती है, इसलिए इन पर विशेष निगाह रखी जाए। कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान समय से किया जाए। अनाजों के उत्पादन के सुरक्षित भण्डारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही, कृषि आधारित उद्योग–धन्धों को बढ़ावा देने के लिए गम्भीरता से काम किया जाए।

प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने तथा नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जरूरी निर्णय लेने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल विण्डो सिस्टम की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्टार्टअप एवं कौशल विकास योजनाओं को भी प्रभावी रूप से लागू किया जाए, जिससे प्रदेश में निवेश का वातावरण बन सके। प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा काफी पीछे छूट गया है। राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता का अभाव है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सफाई कर्मियों की उपलब्धता के बावजूद स्वच्छता में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। इस दिशा में तत्काल कार्य करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि दिसम्बर–2017 तक प्रदेश के 30 जनपदों में स्वच्छता मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जाए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को स्वच्छता–शपथ दिलाते हुए भरोसा जताया कि उनके (अधिकारियों) स्तर से शपथ के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इससे पूर्व, उन्होंने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया।

श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश का बजट तैयार करते समय लोक कल्याण संकल्प–पत्र में दिए गए बिन्दुओं का ध्यान रखा जाए, जिससे जनता को समय से वादों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने अधिकारियों से भ्रष्टाचार एवं गुण्डाराज से मुक्त पारदर्शी प्रशासन देने के निर्देश देते हुए कहा कि टीम भावना से कार्य करते हुए प्रदेश को 5 वर्षों में अग्रणी राज्यों में शामिल करने का प्रयास किया जाए।

- **लोक कल्याण संकल्प–पत्र–2017 में किए गए वादों पर विश्वास करके राज्य की जनता ने इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया : मुख्यमंत्री**
- **संकल्प–पत्र के सभी बिन्दुओं को पूरी गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए।**
- **प्रदेश का बजट तैयार करते समय लोक कल्याण संकल्प–पत्र में दिए गए बिन्दुओं का ध्यान रखा जाए।**
- **अधिकारियों से 15 दिनों में अपनी सम्पत्तियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के निर्देश।**
- **संवेदनशील एवं ईमानदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की जाए।**
- **आम जनता को निर्धारित समय से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विभाग सिटीजन चार्टर तैयार करे।**
- **थानों एवं तहसीलों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को राजनैतिक दबावों से मुक्त रखा जाए।**
- **मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार एवं गुण्डाराज से मुक्त पारदर्शी प्रशासन देने के निर्देश।**
- **सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने स्वच्छता–शपथ दिलाई।**
- **मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की बैठक को किया सम्बोधित।**

प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने का संकल्प

उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रभावी प्रयास करेगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017 में किए गए वादों को शत–प्रतिशत पूरा करेगी।

शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री लोक भवन में अपनी पहली प्रेस वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने विकास और सुशासन के लिए जनता के भारी समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। विधान सभा चुनाव में अभूतपूर्व बहुमत हासिल करने के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली है

और यह दिन उत्तर प्रदेश व देश के लिए ऐतिहासिक महत्व का है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन के माध्यम से 'सबका साथ, सबका विकास' करने का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती एकात्म मानववाद के प्रणेता पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म भूमि एवं कर्म स्थली रही है। ऐसे महापुरुष के अन्त्योदय के स्वप्न को साकार करने के लिए सभी जरूरी निर्णय लिए जाएंगे।

श्री योगी ने कहा कि विगत 15 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज रही सरकारों के भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ–साथ बदहाल कानून–व्यवस्था ने राज्य तथा यहां की जनता का भारी नुकसान किया है। इसलिए राज्य सरकार आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही शुरू करेगी। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। इसके लिए शासन–प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ कानून–व्यवस्था को चाक–चौबन्द रखने के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर सजग रहेगी। प्रदेश सरकार शिक्षा के उन्नयन, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा प्रदान करने की दिशा में भी ठोस प्रयास करेगी। समाज के गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

श्री योगी ने कहा कि हमारे प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है और अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने। कृषि, किसान तथा खेतिहर मजदूर–इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समान अवसर देने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर–कसर बाकी नहीं रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के 15 वर्ष के बदहाल शासन का खामियाजा प्रदेश की युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ा है। प्रदेश सरकार युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने तथा कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर दिलाने के लिए भी संवेदनशीलता से कार्य करेगी। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार विहीन एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। निवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य का संतुलित औद्योगिक विकास भी किया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश का आर्थिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर हमारे नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

- **राज्य सरकार उ.प्र. को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रभावी प्रयास करेगी।**
- **प्रदेश सरकार लोक कल्याण संकल्प–पत्र के वादों को शत–प्रतिशत पूरा करेगी।**
- **लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी।**
- **प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सुशासन के माध्यम से 'सबका साथ, सबका विकास' करने का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी।**
- **शासन–प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा।**
- **गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे : मुख्यमंत्री**
- **मुख्यमंत्री ने विकास और सुशासन के लिए जनता के भारी समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया।**

गो तस्करी पर अविलम्ब पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने गो तस्करी पर अविलम्ब पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस अवैध कार्य में लगे अराजक तत्वों की क्षेत्रवार पहचान करने एवं इसमें लगे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में संचालित अवैध बूचड़खानों की चर्चा करते हुए उन्होंने ऐसे बूचड़खानों को बंद करने के लिए तत्काल एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगाह किया है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यंमत्री मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं शासन के अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून–व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पूर्व राज्य सरकार द्वारा राजनैतिक एवं अन्य व्यक्तियों को प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में व्यक्तिवार आवश्यकता एवं औचित्य को देखते हुए तत्काल समीक्षा की जाए, जिससे पुलिस बल की अनावश्यक व्यस्तता को कम करते हुए उन्हें अधिक से अधिक जनता की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सके।

श्री योगी ने विभिन्न अपराधों के सम्बन्ध में प्रभावी एवं ठोस कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस बल को और अधिक चौकस एवं सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय करते हुए

इसकी समीक्षा की जाए। इसके साथ ही, विशेष रूप से रात्रि में पुलिस की गश्त पर और अधिक ध्यान दिया जाए, जिससे चोरी एवं डकैती आदि आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने स्तर पर फीडबैक प्राप्त करने एवं अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे पुलिस की लापरवाही से होने वाले अपराधों पर तत्काल नियंत्रण हो सके।

मुख्यमंत्री ने गंदगी को बीमारियों का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि इसके लिए सरकारी विभागों को स्वच्छता पर बल देते हुए जन चेतना जागृत करने की पहल करनी होगी। उन्होंने सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों को सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि यह काम केवल एक बार नहीं बल्कि लगातार किया जाना चाहिए, जिससे राजकीय कार्यालयों की छवि में सुधार हो। उन्होंने नगरीय निकायों को सफाई के लिए विशेष पहल करने का निर्देश देते हुए कहा कि निकाय अपने परिसरों एवं नगरों की वॉर्डवार स्वच्छता सुनिश्चित कराएं।

- **मुख्यमंत्री द्वारा गो तस्करी पर अविलम्ब पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश।**
- **अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए तत्काल एक्शन प्लान तैयार किए जाएं।**
- **राजनैतिक व्यक्तियों को प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाए।**
- **अपराधों के सम्बन्ध में प्रभावी एवं ठोस कार्रवाई की जाए।**
- **सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों को सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश।**

क़ानून का राज प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता - मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के राज को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि पुलिस अपनी कार्य पद्धति और प्रणाली में परिवर्तन लाए, जिससे आम जनता को यह महसूस हो कि उसे राहत मिली है, वह सुरक्षित है और नई सरकार के आते ही एक नया वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि पुलिस आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करे और छोटी से छोटी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करे, जिससे ऐसी घटनाएं किसी बड़े खतरे का कारण न बन सकें। इस सन्दर्भ में उन्होंने ग्रेटर नोएडा और संतकबीरनगर में हुई घटनाओं की चर्चा की। उन्होंने इन घटनाओं की गहरी छानबीन कर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस से जुड़े सभी विभाग कार्य योजना बनाकर शीघ्र ही प्रस्तुत करें और अच्छी पुलिसिंग की दिशा में कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्य प्रणाली के सन्दर्भ में जमीनी हकीकत जानने के लिए फील्ड विजिट करेंगे, तब तक पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अपने अतिव्यस्त समय में से कुछ समय अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ अलग–अलग क्षेत्रों में कुछ किलोमीटर पैदल भ्रमण करें, इससे जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा होगी।

मुख्यमंत्री ने थानों और पुलिस से सम्बन्धित अन्य कार्यालयों व आवासों की साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखने

के साथ–साथ पुलिस को नियमित पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और संसाधनों की कमी भी है। किन्तु पुलिस अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाए, जिससे अपराधियों और असामाजिक तत्वों के अन्दर भय पैदा हो और आम जनता को सुरक्षा का एहसास हो।

श्री योगी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का नैतिक दायित्व हम सबका है। उन्होंने सुरक्षा और शान्ति के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सतर्कता और सक्रियता ही पुलिस का मूल मंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ जो कोई भी खिलवाड़ करे, उसे सख्ती से रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रंगदारी और जबरन वसूली की कुछ घटनाएं प्रकाश में आयी हैं, इन घटनाओं में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्पीड़न और एसिड अटैक जैसी घटनाओं पर भी शीघ्रता से कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली अपनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस विभाग के अन्दर भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, जो अपराधियों और असामाजिक तत्वों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के आन्तरिक अनुशासन पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले फरियादियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था और उनके प्रति सद्व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बैंक खुलने के समय और बाजार बन्द होने के समय विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

श्री योगी ने कहा कि नवरात्रि और पर्वों के दौरान काफी संख्या में लोग मन्दिरों व मेले वाले स्थानों पर आते हैं। इन स्थानों पर पेयजल, सफाई, पुलिस सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। ऐसे शक्ति स्थलों का वरिष्ठ अधिकारी नियमित भ्रमण करें। उन्होंने अयोध्या में रामनवमी के मेले के लिए भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही, यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री ने खनन, वन, गो–माफियाओं व भू–माफियाओं के विरुद्ध भी अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस समन्वय बनाकर कार्यवाही करे। इस सन्दर्भ में उन्होंने डायल–100 का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण और संसाधनों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस को आधुनिकतम उपकरणों और नवीनतम तकनीक से लैस रहना होगा।

श्री योगी ने कहा कि गर्मी के मौसम में आग की घटनाएं होती हैं, जिसके लिए फायर सर्विसेज को सतर्क और जागरूक रहना होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की घटनाओं के सन्दर्भ में सतर्कता जरूरी है। किसी भी घटना को सामान्य कहकर टालने की प्रवृत्ति से बचना होगा। गांव के स्तर पर भी घटना की जानकारी होनी चाहिए। नागरिक सुरक्षा बल को भी मजबूत बनाना होगा और इनका उपयोग सिर्फ विशेष अवसरों के लिए न हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं और मानवाधिकारों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, जिससे निपटना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

- **पुलिस अपनी कार्य पद्धति और प्रणाली में परिवर्तन लाए, जिससे आम जनता को राहत और सुरक्षा महसूस हो ।**
- **पुलिस आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करे और छोटी से छोटी घटनाओं का संज्ञान ले।**
- **पुलिस से जुड़े सभी विभाग कार्य योजना बनाकर शीघ्र ही प्रस्तुत करें और अच्छी पुलिसिंग की दिशा में कार्य करना सुनिश्चित करें।**
- **मुख्यमंत्री भविष्य में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्य प्रणाली के सन्दर्भ में जमीनी हकीकत जानने के लिए फील्ड विजिट करेंगे।**
- **पुलिस अधिकारी अपने अतिव्यस्त समय में से कुछ समय अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ किलोमीटर पैदल भ्रमण करें।**
- **मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और शान्ति के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।**
- **उत्पीड़न और एसिड अटैक जैसी घटनाओं पर भी शीघ्रता से कार्रवाई की जाए।**
- **पुलिस अधिकारियों को बैंक खुलने के समय और बाजार बन्द होने के समय विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश।**
- **थाने में आने वाले फरियादियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था और उनके प्रति सद्व्यवहार होना चाहिए।**
- **नवरात्रि और पर्वो के दौरान मन्दिरों व मेले वाले स्थानों पर पेयजल, सफाई, पुलिस सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए।**
- **खनन, वन, गो-माफियाओं व भू-माफियाओं के विरुद्धअभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश।**
- **मुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक।**

मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए।

मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नादरगंज स्थित कान्हा उपवन गौशाला के निरीक्षण के अवसर पर।

मा0 मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ शास्त्री भवन स्थित सभागार में अपने विभागों से सम्बन्धित मंत्रिगणों एवं प्रमुख सचिव/सचिव के साथ समीक्षा बैठक करते हुए।

मा0 मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जनपद गोरखपुर में मण्डलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए।

मा0 मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ विधान सभा सदन में नव-निर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के अवसर पर।

मा0 राज्य मंत्री (सूचना) डॉ. नीलकंठ तिवारी, सूचना विभाग प्रांगण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए।

मा0 मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ विधान भवन में विधान सभा अध्यक्ष के निर्वाचन के अवसर पर सदन को संबोधित करते हुए।

मा0 मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जनपद गोरखपुर में गोरखधाम मन्दिर में स्थित गोशाला में गायों व बछड़ों को बिस्किट व गुड़ खिलाते हुए।

मा. राज्यपाल, श्री राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
परिचय

राजभवन में उत्तर प्रदेश के नवगठित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के साथ कार्यक्रम के अवसर पर

मा0 राज्यपाल, श्री राम नाईक राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
को अपनी पुस्तक 'चरैवेति! चरैवेति!! देते हुए

मा0 मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ, राजभवन में उत्तर प्रदेश के नवगठित मंत्रिपरिषद के
मंत्रियों के साथ परिचय कार्यक्रम के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए। साथ में राज्यपाल, श्री राम नाईक।

मा0 मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ लोकभवन में उत्तर प्रदेश के नवगठित मंत्रि परिषद के मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए।

मा0 मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ आवास पर जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनते हुए।

क़ानून व्यवस्था को चुस्त

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने जनपद लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कार्मिकों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का निर्देश देते हुए कहा कि थाने पर फरियाद लेकर आने वाले शिकायतकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ताओं को कागज एवं कलम भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की तत्काल एफ. आई.आर. दर्ज कर थाना प्रभारी द्वारा वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लेकिन यदि जांच के दौरान पता चले कि एफ.आई.आर. विद्वेष की भावना से गलत दर्ज करायी गयी है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।

श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास एवं इसके प्रति लोगों की धारणा में सुधार के लिए राज्य की कानून व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त बनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी गम्भीरता एवं

-दुरुस्त बनाने के निर्देश

संवेदनशीलता से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जहां राज्य सरकार को पुलिस कार्मिकों से गम्भीरता पूर्वक अपने दायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा है, वहीं इनके लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जाएगा।

इस मौके पर श्री योगी ने कोतवाली के स्वागत कक्ष में उपस्थित लोगों से बातचीत कर उनकी कठिनाइयों को जाना एवं उनके निदान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने की व्यवस्था एवं साइबर क्राइम सेल का भी अवलोकन किया। श्री योगी ने महिला पुलिस कार्मिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला पुलिस कार्मिकों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही, महिला पुलिस कर्मियों तथा महिला शिकायतकर्ताओं के लिए प्रत्येक थानों में पृथक प्रसाधन की व्यवस्था की जाए।

श्री योगी ने थानों में आने वाले लोगों के लिए बैठने एवं पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, कोतवाली/थानों एवं चौकियों में पर्याप्त सफाई के साथ–साथ अभिलेखों के उचित रख–रखाव की व्यवस्था भी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को इस प्रकार का माहौल तैयार करना चाहिए कि पुलिस दफ्तरों में लोग भय रहित होकर अपनी बात कह सकें। उन्होंने कहा कि समय–समय पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस कार्मिकों की बैरकों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं साफ–सफाई का अवलोकन करें।

श्री योगी ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान जरूरतों को देखते हुए साइबर क्राइम रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने क्राइम ब्रांच तथा एस.पी. पश्चिमी के कार्यालय, लॉक रूम सहित परिसर में स्थापित विभिन्न अनुभागों का भी निरीक्षण किया। बाद में मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निरीक्षण एक शुरुआत है, जिसके फलस्वरूप पुलिस विभाग में निश्चित रूप से बदलाव दिखेगा। उन्होंने बताया कि हजरतगंज कोतवाली होने के साथ–साथ इसके परिसर में पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, महिला थाना तथा साइबर क्राइम सेल भी स्थापित है। इसलिए इसके निरीक्षण का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों और विशेष रूप से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है।

- **थाने पर फरियाद लेकर आने वाले शिकायतकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए।**
- **प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की एफ.आई.आर. दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।**
- **राज्य की क़ानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा।**
- **महिला पुलिस कार्मिकों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था की जाए।**
- **महिला पुलिस कर्मियों तथा महिला शिकायतकर्ताओं के लिए प्रत्येक थानों में पृथक प्रसाधन की व्यवस्था की जाए।**
- **राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प।**
- **मुख्यमंत्री द्वारा हजरतगंज कोतवाली, लखनऊ का आकस्मिक निरीक्षण।**

शक्ति पीठों में दर्शनार्थियों के लिए आवश्यक जन-सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश

- **हर स्तर पर सुरक्षा प्रबन्ध चाक-चौबन्द रखने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के भी निर्देश।**
- **राम नवमी के दृष्टिगत अयोध्या में भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध कराए जाएं।**
- **कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।**

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश की सभी शक्ति पीठों में दर्शनार्थियों के लिए आवश्यक जन–सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हर स्तर पर सुरक्षा प्रबन्ध चाक–चौबन्द रखने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नवरात्रि पर्व के दौरान विन्ध्याचल, देवीपाटन, शाकुम्भरी देवी (सहारनपुर) आदि शक्ति पीठों सहित प्रदेश के समस्त जनपदों के महत्वपूर्ण मन्दिरों में भी साफ–सफाई, पेयजल तथा बिजली आदि की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, यातायात प्रबन्ध पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि श्रृद्धालुओं को आवागमन में कोई असुविधा न हो। मन्दिर परिसरों में श्रृद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग आदि के प्रबन्ध सुनिश्चित कर लिए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवरात्रि के अवसर पर दूर–दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं एवं वरिष्ठ नागरिक भी शक्ति पीठों के दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए इस मौके पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी प्रकार राम नवमी के दृष्टिगत अयोध्या में भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ–साथ सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध किए जाएं। उन्होंने कहा कि राम नवमी के अवसर पर अयोध्या में देश एवं विदेशों से बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। इसलिए इस मौके पर अयोध्या में जहां गुणवत्तापरक जन सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है, वहीं तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सतर्कता भी बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए शुद्ध पीने के पानी के साथ–साथ स्थानीय राजकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाइयों एवं चिकित्सकों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आगाह किया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

'एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा' का शुभारम्भ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह सेवाएं दूरदराज के क्षेत्रों में हर हाल में पहुंचें यह सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालयों सहित प्रदेश की सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने यह विचार अपने सरकारी आवास पर 'एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा' के शुभारम्भ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि बैसाखी के दिन यह सेवा शुरू हो रही है, इस बात की उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों से यह एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जा रही थीं, परन्तु पिछली राज्य सरकार ने इसे अस्वीकार करते हुए राज्य की जनता को इस महत्वपूर्ण जीवन रक्षक प्रणाली से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो और वहां की सरकार केन्द्र द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध करायी जा रही सहायता को ठुकरा रही हो तो वह कैसी सरकार है और क्या वह जनता का हित चाहती है।

श्री योगी ने कहा कि भारत का ढांचा फेडरल है। ऐसे में केन्द्र एवं राज्य की सरकारों को आपस में समन्वय स्थापित करने के साथ–साथ सहयोग करते हुए चलना होता है, अन्यथा केन्द्र एवं राज्य की आपसी असहमति में जनता को मुश्किलें होती हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही, राज्य सरकार के मंत्रिगण आपस में नित्यप्रति मिलकर चीजों को ठीक करने के विषय में चर्चा करते रहते हैं, ताकि लोक कल्याण संकल्प–पत्र को अमली जामा पहनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का है, ताकि इसकी 'बीमारू' छवि बदल जाए। राज्य सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी का यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सरकार अब

जनता पर बोझ डालेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसका इन्तेजाम किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाते हुए मितव्ययिता के माध्यम से इसकी भरपाई करेंगे।

श्री योगी ने कहा कि आज इस अवसर पर 150 एम्बुलेंसों की शुरुआत की जा रही है। शीघ्र ही 100 अतिरिक्त एम्बुलेंसों को भी इस सेवा में लगाया जाएगा। यह सभी एम्बुलेंस केन्द्र सरकार द्वारा एन.एच.एम. के तहत उपलब्ध करायी गयी हैं। यह एम्बुलेंस जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित हैं। यह एम्बुलेंस गम्भीर मरीजों, ऐसे दुर्घटनाग्रस्त लोगों, जिन्हें तत्काल मदद की आवश्यकता है, के बहुत काम आएगी, क्योंकि 'गोल्डेन आवर' अर्थात पहला घण्टा जिसमें यदि इलाज की व्यवस्था हो जाए तो मरीज की जान बच सकती है, के दौरान यह कारगर साबित होगी। सभी एम्बुलेंस जी.पी.एस. से मॉनीटर होंगी। इस सेवा का संचालन जी.वी.के.–ई.एम.आर.आई. के माध्यम से किया जाएगा। यह संचालन करने वाली एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस सेवा के तहत संचालित एम्बुलेंस के सभी उपकरण सुचारु रूप से काम करें, अन्यथा उपकरणों में खराबी पाये जाने पर 10,000 रुपये का दण्ड देय होगा। इस सेवा के तहत संचालित एम्बुलेंसों के सभी कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस सेवा के संचालन में लगे कर्मियों के मानदेय के भुगतान समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि '108' नम्बर की इस सेवा के तहत कॉल करने वाले के पास एम्बुलेंस 15 मिनट के अन्दर पहुंचेगी।

कार्यक्रम को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध कराने में करेंगे। आज उपलब्ध करायी गयी 150 एम्बुलेंस में से 75 एम्बुलेंस वर्ष 2014–15 के दौरान तथा 75 एम्बुलेंस वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.एम. के तहत केन्द्र सरकार ने उपलब्ध करायी थीं, जिनका उपयोग पिछली सरकार ने नहीं किया और प्रदेश की जनता इस महत्वपूर्ण सेवा से वंचित रह गयी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पूरा समर्थन दिया गया है। इस सेवा का उपयोग करते हुए दिल्ली से 200 कि.मी. के दायरे में किसी मरीज को आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली तक भी पहुंचाने की व्यवस्था इसके तहत की गयी है। राज्य सरकार इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि राज्य के सभी अस्पताल उच्च कोटि के बनें, जहां मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, ताकि उन्हें राज्य से बाहर न जाना पड़े।

इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने इस सेवा के ड्राइवरों को वाहनों की चाभियां भी मुहैया करवायीं। उन्होंने एक एम्बुलेंस का अवलोकन करने के पश्चात सभी वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना भी किया। उन्होंने अन्तिम एम्बुलेंस के सहायक के कंधे पर हाथ रखकर बधाई दी और सभी कर्मचारियों से ये कामना की कि वे मरीजों के लिए पूरी ईमानदारी व मेहनत से काम करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, परिवार कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह सहित मंत्रिमण्डल के कई अन्य सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि इस सेवा के तहत कुल 150 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। भविष्य में 100 और एम्बुलेंस को इस सेवा के तहत शामिल किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 108 सेवा के अन्तर्गत 1488 बी.एल.एस. एम्बुलेंस संचालित हैं, जिनका संचालन जी.वी.के.–ई.एम.आर.आई. के माध्यम से होता है। इनकी संचालन अवधि 05 वर्ष है और इनका इमरजेन्सी रिस्पॉन्स सेण्टर लखनऊ में स्थापित है। इमरजेन्सी रिस्पॉन्स सेण्टर में इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, वॉयस लोगर सिस्टम की व्यवस्था होगी।

इन एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेर, मल्टी पैरा मॉनीटर, डिफिब्रिलेंटर, फीटल डाप्लर जैसे विशिष्ट उपकरण लगाये गये हैं। इसके साथ ही इनमें अति गम्भीर रोगों के उपचार हेतु औषधियों के साथ–साथ प्रशिक्षित इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन की भी व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक एम्बुलेंस वातानुकूलित है और इनमें जी.पी.एस. की भी व्यवस्था है।

अति गम्भीर रोगियों हेतु एम्बुलेंस का बेस लोकेशन जनपद मुख्यालय होगा। जिले के सी.एम.ओ./सी.एम.एस. के संदर्भन पर एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जायेगी। 108 पर प्राप्त होने वाली सामान्य जनता की कालों हेतु भी आवश्यकतानुसार ए.एल.एस. एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जायेगी। दिल्ली से 200 किलोमीटर के अन्दर आने वाले जनपदों के मरीजों को दिल्ली के चिकित्सालयों में भेजने की भी व्यवस्था की जाएगी।

सेवा प्रदाता को एम्बुलेंस द्वारा माह में कुल तय की गयी दूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। तय की गयी दूरी की गणना जी.पी.एस. के आधार पर की जायेगी। दिन में कॉल प्राप्त होने के 5 मिनट के अन्दर (सुबह 8 से शाम 8) एवं रात्रि में 10 मिनट के अन्दर (शाम 8 से सुबह 8) एम्बुलेंस रवाना कर दी जायेगी। जिला चिकित्सालय के रोगियों को तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जायेगी।

यदि रोगी को जिला चिकित्सालय के अलावा किसी अन्य स्थान से पिकअप किया जाना है तो शहरी क्षेत्र में 30 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्र 45 मिनट में एम्बुलेंस को रोगी तक पहुंचाया जायेगा। यदि एम्बुलेंस के सामान्य उपकरणों, औषधियों, कंज्यूमेबल आदि में कमी पायी जाती है तो 1000 रुपए प्रति डिफाल्ट की पैनाल्टी लगायी जायेगी। यदि एयरकन्डीशनर, एडवांस उपकरणों में कमी पायी जाती है तो 10,000 रुपए प्रति डिफाल्ट की पैनाल्टी लगायी जायेगी।

- राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
- यह सेवाएं दूरदराज के क्षेत्रों में हर हाल में पहुंचें, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- जिला चिकित्सालयों सहित प्रदेश की सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता।
- केन्द्र सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों से यह एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जा रही थीं, परन्तु पिछली राज्य सरकार ने इसे अस्वीकार करते हुए राज्य की जनता को इस महत्वपूर्ण जीवन रक्षक प्रणाली से वंचित रखा।
- भारत का ढांचा फेडरल है, केन्द्र एवं राज्य की सरकारों को आपस में समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ सहयोग करते हुए चलना चाहिए।
- राज्य सरकार कर्जमाफी का बोझ जनता पर नहीं डालेगी।
- मुख्यमंत्री ने 'एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा' के तहत 150 एम्बुलेंस को झण्डी दिखाकर किया रवाना।
- यह सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित।
- यह एम्बुलेंस मरीज के 'गोल्डेन आवर' के लिए महत्वपूर्ण।
- हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध कराने में करेंगे।

के.जी.एम.यू. को एम्स की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सक समुदाय से आह्वान किया है कि समाज के अन्तिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र की समृद्धि और उसके निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को तकनीक और शोध के स्तर पर देश–दुनिया में हो रही प्रगति के साथ जुड़ने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में परम्परा के साथ–साथ आधुनिक और नई तकनीक को अपनाते हुए आगे बढ़ने की दिशा में कार्य होना चाहिए। चिकित्सक को आम मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि के.जी.एम.यू. को एम्स की तर्ज पर विकसित किए जाने के सम्बन्ध में प्रयास किए जाएं, जिसमें राज्य सरकार सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (के.जी.एम.यू) के ट्रॉमा सेण्टर में नव स्थापित 56 वेंटिलेटरों के लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेण्टर में स्थापित किए जाने वाले 56 नए वेंटिलेटर महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उपकरण हैं, जिनसे गम्भीर मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि के.जी.एम.यू. की तमाम उपलब्धियों और सुविधाओं के तहत इन वेंटिलेटर्स से एक नई कड़ी जुड़ेगी। इसके लिए उन्होंने के.जी.एम.यू. को बधाई देते हुए उम्मीद जतायी कि आने वाले समय में प्रदेश के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में इस प्रकार के प्रयास जारी रहेंगे।

श्री योगी ने के.जी.एम.यू. को प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का एक महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान बताते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय से बड़ी संख्या में ऐसे चिकित्सक निकले हैं, जो अपने–अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हुए हैं और अपनी प्रतिभा की बदौलत संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में उन्होंने मेदान्ता हॉस्पिटल की चर्चा करते हुए कहा कि वहां की टीम के अधिकतर सदस्य के.जी.एम.यू. से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि के.जी.एम.यू. देश की आवश्यकता के अनुरूप चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की चिकित्सा व्यवस्था में भी के.जी.एम.यू. का बेहतरीन योगदान रहा है।

प्रदेश व देश के अन्दर चिकित्सकों की कमी की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इस कमी को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी सरकारों के लिए यह चिन्ता का विषय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूर–दराज के इलाकों और छोटे कस्बों में योग्य चिकित्सकों की कमी है। चिकित्सकों का आकर्षण शहरों और सुविधाओं की तरफ रहता है, जिनसे उन्हें निजात पाना होगा। उन्हें यह सोचना चाहिए कि जिस समाज और देश ने उन्हें चिकित्सक बनाने में मदद की है, वे उस समाज को क्या दे रहे हैं।

राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि आने वाले 5 वर्षों में 25 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017 में स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए वादों को भी नई सरकार पूरा करेगी।

श्री योगी ने चिकित्सकों को नैतिक रूप से मरीजों के हित में काम किए जाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि रोगियों को अनावश्यक जांचें तथा दवाइयां न लिखकर संस्थान में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को यह भी देखना चाहिए कि मरीजों को सस्ती दवाएं व जांचें कम खर्च में उपलब्ध हों।

श्री योगी ने कहा कि नए–नए उपकरणों को लगाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक जरूरी है–उनका रख–रखाव और बेहतर उपयोग, जिसकी ओर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने साफ–सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इनके कारण कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने एक्यूट इंसेफ्लाईटिस तथा वेक्टर बॉर्न डिजीज के प्रति जागरूकता उत्पन्न किए जाने की आवश्यकता जतायी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पाठ्यक्रमों की समानता पर भी विचार किया जाना चाहिए।

- **चिकित्सकों को आम मरीज के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए।**
- **बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चिकित्सकों की कमी को पूरा करना होगा।**
- **आने वाले 5 वर्षों में 25 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।**
- **लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017 में स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए वादों को नई सरकार पूरा करेगी।**

योग का मार्ग लोक कल्याण और खुशहाली का रास्ता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि योग का मार्ग लोक कल्याण और खुशहाली का रास्ता है। योग सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके आधार पर गरीबी, दरिद्रता, अनाचार, दुराचार के साथ–साथ अन्य सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का दायित्व सौंपे जाने के लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे एक बड़ी चुनौती बताया और कहा कि वे इस प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णयों को लेने में नहीं हिचकेंगे।

मुख्यमंत्री इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में 'उत्तर प्रदेश योग महोत्सव–2017' के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्वामी बाबा रामदेव तथा अन्य सभी सहयोगी संस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि जीवन में योग और सकारात्मक सोच के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है। श्री योगी ने योग को जन–जन तक पहुंचाने के लिए योग ऋषि बाबा रामदेव के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि वह इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं।

श्री योगी ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल और प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि योग दिवस से 2015 में 172 और फिर 2016 में 192 देश जुड़े। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की केन्द्र में सरकार आने के बाद भारत एक महाशक्ति और सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। लोगों के अन्दर एक विश्वास जगा है। उन्होंने कहा कि नोट बन्दी जैसी कार्यवाही को श्री मोदी जैसा सशक्त और ईमानदार नेतृत्व ही अंजाम दे सकता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार आने के कुछ ही दिनों के भीतर लोक कल्याण के लिए फैसले लिए गए हैं। यह सरकार प्रदेश को सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि उनका सफर एक आम नागरिक से लेकर मुख्यमंत्री पद तक रहा है। उन्हें जनसमस्याओं का पता है, जिनके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। भारत को योग का देश बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की संस्कृति बल और वैभव की ताकत से प्रभावित न होकर, देश व समाज की बेहतरी के लिए सतत प्रयासरत रहने की है। इस मार्ग पर यदि चलते रहा जाए, तो भारत को विश्व गुरू बनने से कोई नहीं रोक सकता।

श्री योगी ने कहा कि योग में विश्वास करने वाले लोग जाति, मजहब और पंथ के भेदभाव में यकीन नहीं रखते। इस भेदभाव को मानने वाले लोग योग में अविश्वास करते हैं और

इसकी ताकत को नकारते हैं। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक दृढ़ता के साथ–साथ मानसिक परिपक्वता को भी उजागर करता है। योग के आधार पर स्वस्थ जीवन व्यतीत किया जा सकता है और सामाजिक और आध्यात्मिक क्रान्ति लायी जा सकती है। उन्होंने योगीराज गोरक्षनाथ पीठ के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपने जीवन में उसके योगदान की चर्चा की।

स्वामी बाबा रामदेव ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का अभिनन्दन और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश एक आदर्श प्रदेश बनेगा, जिसमें आध्यात्मिक विकास के साथ–साथ आर्थिक विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि भारत फकीरों, ऋषियों, मुनियों, योगियों की धरती रही है। जहां पर योग धर्म के साथ–साथ राज धर्म की भी यात्रा की जाती रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक सकारात्मक दौर से गुजर रहा है, जहां पर समस्याओं का समाधान होगा और सबको, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गोरक्षा होगी, अवैध बूचड़खाने बन्द होंगे। उन्होंने कहा कि श्री योगी का व्यक्तित्व सहजता, सरलता, पराक्रम और विनम्रता से भरपूर है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर राज्य सरकार खरी उतरेगी। योग को मनोबल, आत्मबल और संकल्प शक्ति का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि योग के अलावा कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। रोगों की मुक्ति भी योग के ही द्वारा सम्भव है।

समारोह को मोक्षायतन संस्था के अध्यक्ष स्वामी भारत भूषण जी महाराज ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। मुख्यमंत्री को स्वामी बाबा रामदेव द्वारा स्मृति चिन्ह् भेंट किया गया। इस मौके पर पतंजलि योग पीठ द्वारा संचालित आचार्यकुलम् के बच्चों ने योग कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया, जिसमें परम्परा व आधुनिकता का समावेश था।

- **योग सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।**
- **जीवन में योग और सकारात्मक सोच के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है।**
- **भारत एक महाशक्ति और सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है : श्री योगी**
- **नई सरकार आने के कुछ ही दिनों के भीतर लोक कल्याण के लिए फैसले लिए गए।**
- **राज्य सरकार प्रदेश को सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए संकल्पित।**
- **योग में विश्वास करने वाले लोग जाति, मजहब और पंथ के भेदभाव में यकीन नहीं रखते।**
- **योग के आधार पर स्वस्थ जीवन व्यतीत किया जा सकता है और सामाजिक और आध्यात्मिक क्रान्ति लायी जा सकती है।**
- **रोगों की मुक्ति योग द्वारा ही सम्भव : स्वामी बाबा रामदेव**
- **मुख्यमंत्री ने 'उत्तर प्रदेश योग महोत्सव–2017' के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया।**

कृषक कल्याणकारी योजनाओं का पूरी पारदर्शिता और प्रामाणिकता के साथ कार्यान्वयन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याणकारी योजनाओं का पूरी पारदर्शिता और प्रामाणिकता के साथ कार्यान्वयन किए जाने पर जोर देते हुए कहा है कि किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की योजनाएं ऐसी होनी चाहिए, जो मात्र आंकड़ों की बाजीगरी न होकर व्यावहारिक धरातल पर खरी उतरें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों को लखनऊ छोड़कर जनपदों और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की हकीकत जानने के लिए जाना होगा। वे स्वयं और उनके मंत्रिगण भी शीघ्र ही जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए निरीक्षण पर निकलेंगे। निरीक्षण में गेहूं खरीद केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अस्पताल, प्राथमिक व अन्य विद्यालय, मण्डी परिषद आदि शामिल होंगे। शिथिलता पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी।

मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में कृषि विभाग के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी प्रस्तुतिकरण के मौके पर पूरी तैयारी और जानकारी के साथ आएं। उन्होंने कहा कि कागजी खानापूर्ति और आंकड़ों की औपचारिकता से अब काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। कृषि क्षेत्र के विस्तार के साथ–साथ फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो, रोजगार के नए अवसरों के साथ कृषि विकास दर को गति

मिले तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के बीच नई तकनीक का प्रचार–प्रसार हो।

श्री योगी ने कहा कि किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं प्रबन्धन सुनिश्चित हो। कृषि उत्पादन में प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु फसल बीमा योजना का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ा जाए। इसके लिए किसानों के बीच गोष्ठियां आयोजित कर जागरूकता पैदा की जाए।

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा भी की और कहा कि किसानों को समय से खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रामाणिक बीज उपलब्ध कराए जाएं। आधुनिक संचार तंत्र का प्रयोग करते हुए कल्याणकारी योजनाओं, नवीनतम कृषि तकनीकी, मौसम के पूर्वानुमान तथा खेती–किसानी के सम्बन्ध में जानकारी मोबाइल फोन, एम.एस.एम., इण्टरनेट, कॉल सेण्टर एवं विभागीय कृषि पोर्टल आदि माध्यमों के द्वारा सहजता से किसानों तक पहुंचाई जाए। किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण करते हुए पारदर्शी ढंग से बीज, कृषि रक्षा रसायनों, कृषि यंत्रों आदि अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएं।

श्री योगी ने मिट्टी की जांच कराए जाने पर जोर देते हुए कहा कि जिन 45 जनपदों में स्वायल हेल्थ लैब नहीं हैं, उनमें प्राथमिकता के आधार पर प्रयोगशालाओं की स्थापना करते हुए सभी किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य कार्ड) उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं है या विद्युत उपलब्ध है, वहां पर सोलर सिंचाई पम्प अधिक से अधिक किसानों को मुहैया कराया जाए। साथ ही, खेती की लागत में कमी, आय में वृद्धि एवं पौष्टिक अन्न के उत्पादन की दिशा में प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फसली ऋण को माफ कर नई सरकार ने लोक कल्याण संकल्प–पत्र के वादे को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समृद्धि और बेहतरी के साथ–साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। कृषि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं में पारदर्शिता हो। खेत तालाब योजना के तहत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नए खेत तालाबों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ समय से दिलाने के हर सम्भव प्रयास किए जाएं। इसके लिए बीमा कम्पनियों से समन्वय बनाया जाए।

- **किसान कल्याणकारी योजनाओं का पूरी पारदर्शिता और प्रामाणिकता के साथ कार्यान्वयन हो। किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।**
- **कृषि विभाग की योजनाएं ऐसी होनी चाहिए, जो मात्र आंकड़ों की बाजीगरी न होकर व्यावहारिक धरातल पर खरी उतरें।**
- **वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की हकीकत जानने के लिए भ्रमण करने के निर्देश।**
- **मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिगण शीघ्र ही जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए निरीक्षण पर जाएंगे।**
- **किसानों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए।**
- **किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।**
- **फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए।**
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ा जाए।**
- **आधुनिक संचार तंत्र का प्रयोग कर कल्याणकारी योजनाओं व मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी सहजता से किसानों तक पहुंचाई जाए।**
- **राज्य सरकार किसानों की समृद्धि और बेहतरी के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध।**
- **मुख्यमंत्री के समक्ष कृषि विभाग का प्रस्तुतिकरण।**

शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा में आ रहे बदलावों को समायोजित कर शिक्षा पाठ्यक्रमों में सुधार करने तथा हर स्तर पर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के छात्रों को अच्छी और गुणवत्तापरक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिससे विद्यार्थी भविष्य में प्रदेश व देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा के बगैर कोई भी समाज अथवा देश प्रगति नहीं कर सकता है, इसलिए राज्य की नई सरकार प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर पूरा ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक कैलेण्डर को हर हाल में लागू किया जाए और महापुरुषों से सम्बन्धित दिवसों पर सम्बन्धित महापुरुष के व्यक्तित्व, कृतित्व और समाज के प्रति उनके योगदान की जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की तैनाती की कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता जताते हुए कहा कि इस स्तर पर अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं के पठन–पाठन पर विशेष जोर दिया जाए। बच्चों को

स्कूल यूनीफार्म समय पर मिले और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह् भोजन योजना में भी सुधार की आवश्यकता है। मिड–डे–मील की गुणवत्ता एवं अनुश्रवण की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो।

माध्यमिक और उच्च शिक्षा की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि शैक्षिक सत्र नियमित हों, परीक्षा परिणाम समय से आए और शैक्षणिक संस्थाओं में नकल को सख्ती से रोका जाए। समय की मांग और आवश्यकता को देखते हुए पाठ्यक्रमों में सुधार हो, जिससे प्रदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं व स्पर्धाओं के लिए सक्षम हो सकें। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणामों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और विद्यार्थियों की मेरिट से कोई समझौता न हो। विद्यार्थियों को बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाए। माध्यमिक शिक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के पठन–पाठन के साथ विदेशी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम व आयोजन किए जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और अध्यापकों को भी साफ–सफाई के प्रति जागरूक किया जाए।

उच्च शिक्षा की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाएं कि पाठ्यक्रम की समानता हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा में मानकों व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और नकल माफियाओं के प्रति सख्ती बरती जाए और दागी सेण्टरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। परीक्षा केन्द्रों के व्यवस्थापक भ्रष्टाचारी व बेईमान न हों। उन्होंने कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा से सम्बन्धित विभाग बताए गए निर्देशों के क्रम में अपनी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के महत्व एवं सामाजिक उत्थान हेतु इसकी उपयोगिता से सभी अवगत हैं। इससे न केवल बौद्धिक विकास होता है, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण भी होता है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शीघ्र ही परिणामपरक कदमों को उठाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार की मंशा है कि गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ–साथ सभी को पढ़ाई का अवसर मिले। इसके मद्देनजर विभागों को कार्य करना होगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि इस विभाग की कार्य पद्धति पारदर्शी हो और इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान न हो। उन्होंने कहा कि बाल पुष्टाहार वितरण के सम्बन्ध में धांधली के मामले संज्ञान में आए हैं, इन्हें रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए दिया जाने वाला पुष्टाहार गुणवत्तापरक हो। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिला और बच्चा यदि कुपोषित होंगे, तो समाज व राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकेगी।

श्री योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय के सम्बन्ध में एक विभागीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत किए जाने के भी निर्देश दिए।

- **राज्य की नई सरकार प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर पूरा ध्यान केन्द्रित कर रही है : मुख्यमंत्री**
- **प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार सहित इस स्तर पर अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं के पठन–पाठन पर विशेष जोर दिया जाए।**
- **शैक्षिक संस्थानों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की तैनाती की कार्यवाही के भी निर्देश।**
- **मिड–डे–मील की गुणवत्ता एवं अनुश्रवण की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाए ।**
- **सत्र नियमित हों, परीक्षा परिणाम समय से आए और शैक्षणिक संस्थाओं में नकल को सख्ती से रोका जाए : मुख्यमंत्री**
- **परीक्षा परिणामों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और विद्यार्थियों की मेरिट से कोई समझौता न हो।**
- **शिक्षा और नकल माफियाओं के प्रति सख्ती बरती जाए और दागी सेण्टरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए।**
- **प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग निर्देशों के क्रम में अपनी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें।**
- **गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए दिया जाने वाला पुष्टाहार गुणवत्तापरक हो।**
- **आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय के सम्बन्ध में विभागीय कमेटी गठित करने के निर्देश।**
- **मुख्यमंत्री ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सहित बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों की समीक्षा।**

महोबा ट्रेन दुर्घटना में घायल यात्रियों के समुचित इलाज के निर्देश

■ **प्रमुख सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक को दुर्घटना के कारणों की जानकारी प्राप्त कर अवगत कराने के निर्देश।**

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद महोबा में हुई ट्रेन दुर्घटना को दुःखद बताते हुए रेल हादसे में घायल यात्रियों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गम्भीर रूप से घायलों के लिए 50–50 हजार रुपए तथा मामूली रूप से घायलों के लिए 25–25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था एवं राहत तथा बचाव कार्य पर निगाह रखने के लिए प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह को मौके पर पहुंचने के लिए कहा है। श्री सिंह दुर्घटना स्थल पर पहुंच भी चुके हैं। साथ ही, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरुण कुमार सिन्हा को भी विभागीय मंत्री के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों के मुकम्मल इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में श्री सिन्हा भी मौके पर पहुंच चुके हैं।

यद्यपि इस दुर्घटना की व्यापक छानबीन रेल मंत्रालय अपने स्तर से कराएगा। परन्तु प्रदेश में पिछली कई संदिग्ध रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक को दुर्घटना के कारणों की जानकारी प्राप्त कर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन दोनों अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की है कि घायलों के इलाज एवं राहत तथा बचाव कार्य में हर सम्भव मदद उपलब्ध करायी जाए। बचाव कार्य में हर सम्भव मदद उपलब्ध करायी जाए।

गोमती रिवरफ्रंट आकस्मिक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवरफ्रण्ट विकास परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग 02 वर्ष पूर्व शुरू की गई इस परियोजना पर अभी तक 60 फीसदी से भी कम काम हो पाया है, जबकि परियोजना को मई, 2017 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। करीब 1500 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना के सापेक्ष 1433 करोड़ रुपये कार्यदायी संस्था को मिल चुके हैं, जिसके सापेक्ष करीब 1427 करोड़ रुपये खर्च भी हो चुके हैं। अब विभाग द्वारा इस परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने परियोजना की प्रगति एवं इसकी उपादेयता के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी परियोजनाओं का वास्तविक उद्देश्य नदी के पानी को स्वच्छ करना एवं नगर के उन गन्दे नालों को बन्द करना होना चाहिए था, जो गोमती नदी में गिर रहे हैं। उन्होंने गोमती नदी को गंगा की सहायक नदी बताते हुए कहा कि इस परियोजना को

विकास परियोजना का निरीक्षण

'नमामी गंगे' परियोजना से जोड़कर नदी में गिरने वाले सभी गन्दे पानी के नालों को बन्द करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए था, जिससे नदी की अविरलता बनाये रखने एवं पानी को शुद्ध करने में मदद मिलती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

श्री योगी ने कहा कि परियोजना को पूरी तरह से कार्य करने वाली संस्था/ठेकेदार पर छोड़ दिया गया, जिससे उन लोगों ने पहले परियोजना के अनुपयोगी मदो पर धनराशि खर्च करने का काम किया। जबकि गन्दे नालों को टैप करने के लिए दोनों तरफ बनाए जा रहे इण्टर सेप्टिक ड्रेन का काम अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि सबसे पहले गन्दे नालों को नदी में गिरने से रोकने के लिए निर्माणाधीन सेप्टिक ड्रेन का काम मई, 2017 तक पूरा कराया जाए। इसके साथ ही, दोनों तरफ बन रहे डाइफ्राम वॉल को कलाकोठी तक बढ़ाया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि इस परियोजना से सम्बन्धित प्रमुख सचिव अपने स्तर पर एक सप्ताह में समीक्षा करते हुए इस पर आने वाले वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में अपना अभिमत प्रस्तुत करें। इसी प्रकार अन्य विभागों के प्रमुख सचिव भी अपने–अपने विभागों से सम्बन्धित विभिन्न संचालित परियोजनाओं की एक सप्ताह में समीक्षा करके अनावश्यक व्यय को तत्काल रोकने का काम करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें की परियोजना को निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि जनता को इनका लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार परियोजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को हर हाल में बन्द करने के लिए दृढ़संकल्पित है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही, परियोजनाओं की उपयोगिता पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे वास्तव में प्रदेश की जनता को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि नगर के किसी भी नाले को निर्धारित समय के बाद गोमती नदी में गिरने न दिया जाए, इसके साथ ही, उन्होंने आवश्यकतानुसार 'नमामी गंगे' परियोजना के तहत वर्तमान एस.टी.पी. की क्षमता बढ़ाने एवं नयी एस.टी.पी. स्थापित करने के लिए आगणन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

श्री योगी ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि लगभग 1400 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने के बाद भी गोमती नदी में गिरने वाले नालों को रोका नहीं जा सका है। कार्यदायी संस्थाओं ने फाउण्टेन आदि जैसे गैर–जरूरी कामों पर जनता की गाढ़ी कमाई को व्यय कर दिया और लखनऊ की जनता को इसका कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) की सख्ती के बावजूद प्रदेश में गन्दे नालों को नदियों में गिरने की दिशा में बहुत कम काम किया गया है। उन्होंने परियोजना के सम्बन्ध में अधिकारियों की तैयारी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि परियोजना पर काम करने से पूर्व इस पर आने वाले व्यय एवं धनराशि प्राप्त करने के स्रोत पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए था। साथ ही, इस बात पर भी गहन मंथन होना चाहिए था कि परियोजना पर अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए कौन से काम पहले पूरे किए जाएं, जिससे इसका लाभ जनसामान्य मिल सके। उन्होंने इस परियोजना को 'नमामी गंगे' परियोजना से जोड़ने की सम्भावना पर विचार करने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे राज्य सरकार पर अनावश्यक खर्च बढ़ने से रोका जा सकेगा।

ज्ञातव्य है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए अभी जल निगम को करीब 750 करोड़ रुपये भरवारा स्थित एस.टी.पी. की क्षमता बढ़ाने एवं इण्टर सेप्टिक ड्रेनों को भरवारा तक ले जाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। जबकि सिंचाई विभाग ने परियोजना को पूरा करने के लिए 900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पर बल दिया है।

- **लगभग 02 वर्ष पूर्व शुरू की गई गोमती रिवरफ्रण्ट परियोजना पर अभी तक 60 फीसदी से भी कम काम हो पाया : मुख्यमंत्री**
- **परियोजना को 'नमामी गंगे' परियोजना से जोड़कर गोमती नदी में गिरने वाले सभी गन्दे पानी के नालों को बन्द करने की दिशा में काम किया जाए।**
- **डाइफ्राम वॉल को कलाकोठी तक बढ़ाया जाए।**
- **किसी भी कीमत पर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने की इजाजत नहीं दी जा सकती।**
- **सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव अपने विभागों से सम्बन्धित परियोजनाओं की समीक्षा करें।**

मुख्यमंत्री की सड़कों के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून, 2017 तक उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों एवं परियोजनाओं को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के सभी कार्य भी प्रत्येक दशा में तय समय में पूरे होने चाहिए।

मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों के निस्तारण में दागी फर्मों तथा आपराधिक, माफिया एवं भ्रष्ट छवि के ठेकेदारों को दूर रखा जाए। इनके स्थान पर अच्छी छवि तथा गुणवत्तापरक कार्य करने वाले लोगों को अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया में ई–टेण्डरिंग को लागू कर व्यवस्था को स्वच्छ, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव–गांव तक सड़क का नेटवर्क तैयार करना राज्य सरकार की वरीयताओं में शामिल है। इसे ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि ग्रामीण इलाकों में व्यापक स्तर पर मार्गों का निर्माण कराकर गांवों की जनता को आवागमन की सुविधा मिल सके।

द्वारा 15 जून तक उ.प्र. को गड्ढा मुक्त करने

- मुख्यमंत्री द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा।
- विभागीय कार्यों में दागी फर्मों तथा आपराधिक, माफिया एवं भ्रष्ट छवि के ठेकेदारों को दूर रखा जाए।
- ई-टेण्डरिंग को लागू कर व्यवस्था को स्वच्छ, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।
- गांव-गांव तक सड़क का नेटवर्क तैयार करना राज्य सरकार की वरीयताओं में शामिल।

पहली कैबिनेट बैठक ऐतिहासिक

31 मार्च, 2016 तक लघु व सीमान्त किसानों को जितना भी फसली ऋण दिया गया है, उसका 31 मार्च, 2017 को अचुकता अवशेष माफ करने का निर्णय

फसली ऋण माफी की अधिकतम सीमा प्रति किसान एक लाख रु0 होगी

योजना की कुल लागत लगभग 36 हजार करोड़ रु0

योजना से 86 लाख से अधिक लघु व सीमान्त किसानों को लाभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में 31 मार्च, 2016 तक लघु व सीमान्त किसानों को जितना भी फसली ऋण दिया गया है, उसका 31 मार्च, 2017 को अचुकता अवशेष माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। फसली ऋण माफी की अधिकतम सीमा प्रति किसान एक लाख रुपए होगी।

इसके अलावा, एन.पी.ए. ऋणों को एकमुश्त समाधान (ओ.टी.एस.) के तहत राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से राइट ऑफ किया जाएगा, जिस पर अनुमानित वित्तीय भार लगभग 6000 करोड़ रुपए होगा। इस पूरी योजना में 86 लाख से अधिक लघु व सीमान्त किसानों को लाभ होगा, जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण ले रखा है।

योजना की कुल लागत लगभग 36 हजार करोड़ रुपए होगी, जिसमें एकमुश्त समाधान योजना की लागत लगभग 6000 करोड़ रुपए होगी। एकमुश्त समाधान योजना से ऐसे लगभग 7 लाख किसान पुनः बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे, जिन्हें ऋणग्रस्तता के कारण बैंकों ने फसली ऋण देना बन्द कर दिया था।

में प्रदेश सरकार ने लिया फ़ैसला

प्रदेश के एक हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ तक के सभी किसान सीमान्त किसान की श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार 2 हेक्टेयर अर्थात 5 एकड़ तक के सभी किसान लघु किसान की श्रेणी में आएंगे। योजना का लाभ प्रदेश के सभी लघु व सीमान्त कृषकों को मिलेगा। प्रारम्भिक गणना के अनुसार प्रदेश में ऐसे कुल 86.68 लाख लघु व सीमान्त किसान हैं, जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण लिया हुआ है।

फसली ऋण माफी योजना हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 8 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, संस्थागत वित्त/कृषि/सहकारिता व राज्य बैंक समन्वयक सदस्य हैं। यह समिति सभी पहलुओं का अध्ययन कर विस्तृत फसली ऋण माफी योजना तैयार करेगी व उसका मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर क्रियान्वयन करेगी। साथ ही, समिति योजना के वित्त पोषण हेतु भी अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर सरकार द्वारा इस हेतु वित्तीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। क्रियान्वयन के अतिरिक्त समिति की इस योजना के सतत् अनुश्रवण में भी सक्रिय भूमिका होगी।

प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प–पत्र के अनुसार मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में लघु एवं सीमान्त किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश की लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें 68 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं। किसानों की संख्या का लगभग 93 प्रतिशत लघु व सीमान्त किसान हैं। इसी से स्पष्ट है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था लघु व सीमान्त किसानों पर काफी हद तक निर्भर है। गत तीन वर्षों में सूखा, बाढ़ व ओलावृष्टि का सर्वाधिक कुठाराघात लघु व सीमान्त किसानों पर हुआ है, जिससे वे फसली ऋण की अदायगी भी नहीं कर पा रहे हैं तथा उनकी सूदखोरों व साहूकारों के ऋण के भंवरजाल में फंसने की प्रबल आशंका है। इससे कृषि सेक्टर व प्रदेश के विकास की गति भी अवरुद्ध होने की सम्भावना है।

2016–17 में जहां राज्य के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत अनुमानित है, वहीं कृषि एवं पशुपालन सेक्टर में यह 5.3 प्रतिशत ही रहने का अनुमान है। 2011–12 से 2014–15 के मध्य जहां प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल आय में 3.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर रही, वहीं कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में यह वृद्धि मात्र 1.2 प्रतिशत रही। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि पिछले तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के दंश को झेल रहे इन सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण माफ किए जाएं।

इसी आशय से लोक कल्याण संकल्प–पत्र के माध्यम से उद्घोषित अपनी प्रतिबद्धता 'कृषि विकास का बने आधार' के क्रियान्वयन का राज्य सरकार द्वारा अपनी पहली मंत्रिमण्डलीय बैठक में निर्णय लिया गया। इससे लघु एवं सीमान्त किसानों को इस हेतु सक्षम बनाया जाएगा कि वे बैंकिंग व्यवस्था का लाभ लेकर कृषि में निवेश करें, ताकि वे न केवल स्वयं स्वावलम्बी हों, अपितु राज्य के कृषि सेक्टर के उत्पादन व उत्पादकता में भी वृद्धि हो।

प्रदेश में संचालित अवैध पशु वधशालाओं को बन्द करने एवं यांत्रिक पशु वधशालाओं पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों को सख्ती से लागू करने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में संचालित अवैध पशु वधशालाओं को बन्द करने एवं यांत्रिक पशु वधशालाओं पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–760/नौ–8–2017–29ज/2017 दिनांक 22 मार्च, 2017 तथा शासनादेश संख्या–838/नौ–8–2017–29ज/2017 दिनांक 27 मार्च, 2017 पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं।

प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थित पशु वधशालाओं का निरीक्षण किए जाने तथा अवैध रूप से संचालित पशु वधशालाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द किए जाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई के आदेश 22 मार्च, 2017 के

शासनादेश के माध्यम से राज्य के सभी मण्डलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों, पुलिस उप महानिरीक्षकों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा नगर आयुक्तों को दिए गए थे। इसी सम्बन्ध में 27 मार्च, 2017 के शासनादेश द्वारा प्रदेश में संचालित यांत्रिक पशु वधशालाओं के सम्बन्ध में यह आदेश भी दिया गया था कि 'यांत्रिक पशु वधशालाओं पर प्रतिबन्ध' का आशय उन यांत्रिक पशु वधशालाओं से है, जो 22 मार्च, 2017 के शासनादेश में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों एवं प्राविधानों में वर्णित निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करती हैं।

मंत्रिमण्डल की बैठक के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में अभी तक कुल 26 अवैध वधशालाएं बन्द की गई हैं। अधिकारियों द्वारा अति उत्साह में बन्द की गई वधशालाओं को वस्तुतः बन्द नहीं किया गया है। राज्य सरकार अवैध वधशालाओं के विषय में सुप्रीम कोर्ट और एन. जी.टी. के आदेशों को लेटर एण्ड स्प्रिट में लागू करेगी। उन्होंने कहा कि जिन वधशालाओं के लाईसेन्स रिन्यू के आवेदन आएंगे, उन्हें रिन्यू किया जाएगा।

रबी विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय नीति को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने रबी विपणन वर्ष 2017–18 में मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। कृषकों को मूल्य समर्थन योजना के माध्यम से अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने के लिए 31 मार्च, 2017 को इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी करके 1 अप्रैल, 2017 से गेहूं की खरीद प्रारम्भ की जा चुकी है।

मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रुपए प्रति कुन्तल की दर पर रखा गया है। वर्ष 2017–18 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 40 लाख मी0टन गेहूं क्रय का न्यूनतम लक्ष्य रखा गया है, किन्तु किसानों को मूल्य समर्थन योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य को बढ़ाकर 80 लाख मी0टन गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य प्राप्त करने के सार्थक एवं प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। 09 क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूं क्रय किया जा रहा है। गेहूं क्रय हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 5000 क्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

गेहूं क्रय के तहत आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। गेहूं क्रय के अनुश्रवण हेतु आयुक्त, खाद्य एवं रसद के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जारी शासनादेश में दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 15 जून, 2017 तक गेहूं क्रय किए जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक जनपद में एण्टी रोमियो, स्क्वायड के गठन और संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एण्टी रोमियो, स्क्वायड के गठन और संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

एण्टी रोमियो स्क्वायड को केवल ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्य करने के निर्देश हैं, जो राह चलते बालिकाओं/महिलाओं को किसी भी प्रकार से परेशान करते हैं। ऐसे जोड़ों या व्यक्तियों, जो सामाजिक परम्पराओं के दायरे में रहते हुए पारस्परिक सहमति से पार्क/मॉल/कॉफी हाउस/सिनेमाघर इत्यादि में मिल–जुल रहे हैं, के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के निर्देश हैं।

सार्वजनिक स्थानों (स्कूल, कॉलेज, बाजार, मॉल, पार्क, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि) पर आपत्तिजनक हरकत करने वाले तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सादे वस्त्रों में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है तथा ऐसे तत्वों को चिन्हित करने के बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। यह स्क्वायड क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे हैं तथा जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनके कार्य–कलापों का अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रतिदिन अभियान हेतु निकलने से पूर्व एण्टी रोमियो स्क्वायड की ब्रीफिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठे हुए जोड़ों से अनायास आई. कार्ड मांगना, पूछताछ करना, तलाशी लेना, उठक–बैठक करवाना, मुर्गा बनवाना जैसी कार्यवाही न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान में संलग्न टीमों द्वारा इस कार्यवाही में प्राईवेट व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को कड़ी हिदायत देते हुए प्राथमिक रूप से उनके विरुद्ध सुधारात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश के नागरिकों को, विशेष रूप से महिलाओं, कमजोर एवं वंचित वर्ग को, सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निकट अतीत में प्रदेश में महिलाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययरन छात्राओं, नव युवतियों एवं कामकाजी महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार करने, अश्लील टिप्पणियां करने एवं उनके साथ छेड़छाड़ करने की घटनाएं दैनन्दिन जीवन का अंग बनती जा रही थी, जो भारतीय सामाजिक परिवेश, परम्पराओं साथ ही सामान्य सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था के

मापदण्डों के विपरीत तो थीं ही साथ ही, राज्यतंत्र के लिए एक चुनौती भी थीं।

सरकार के बागडोर संभालने के साथ ही इस चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर प्रदेशव्यापी अभियान संचालित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया तथा इसको मूर्तरूप देने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों, चौराहों, बाजारों, शॉपिंग मॉल, पार्क एवं अन्य स्थानों को महिलाओं/बालिकाओं के लिए सुरक्षित करने हेतु जनपदों में 'एण्टी रोमियो स्क्वायड' बनाए गए हैं। इन स्क्वायड में उपलब्धता के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में महिला कॉन्सटेबल की ड्यूटी सादे वस्त्रों में लगाई गई है।

जनपद गाजीपुर में नवीन स्टेडियम की स्थापना में उच्च विशिष्टियां के प्रयोग को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने जनपद गाजीपुर में नवीन स्टेडियम की स्थापना में स्ट्रक्चर ग्लेजिंग एवं मैटालिक फॉल्स सीलिंग उच्च विशिष्टियां के प्रयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रस्तावित स्टेडियम के अन्तर्गत एक बास्केट बॉल कोर्ट तथा दर्शक दीर्घा का निर्माण कराया जाना है। नवीन स्टेडियम की स्थापना के लिए उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, वाराणसी ईकाई–2 द्वारा 826.19 लाख रुपए लागत का आगणन उपलब्ध कराया गया था। पी.एफ.ए.डी. द्वारा इस कार्य की लागत 470.44 लाख रुपए आकलित की गई है।

ज्ञातव्य है कि जनपद गाजीपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण वर्ष 1972 में लगभग 3 एकड़ भूमि पर किया गया था, जिस पर प्रशासनिक भवन एवं बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल निर्मित है। परन्तु वर्तमान स्टेडियम में भूमि की कमी के कारण मानक के अनुसार एथेलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल एवं हॉकी मैदान नहीं बन सकता। इसलिए जनपद गाजीपुर में उदीयमान खिलाड़ियों को खेल अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए नवीन स्टेडियम की स्थापना कराया जाना आवश्यक है।

नई उद्योग नीति के निर्माण तथा अवैध खनिज व्यापार पर अंकुश के सम्बन्ध में नीति बनाने के लिए मंत्री समूहों के गठन का निर्णय

आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उपायों पर विचार करने के लिए कमेटी के गठन का फैसला

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के फैसले के लिए मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री को बधाई दी, इस भावना से उन्हें अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में नई उद्योग नीति के निर्माण तथा अवैध खनिज व्यापार पर अंकुश के सम्बन्ध में नीति बनाने के लिए मंत्री समूहों के गठन तथा आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उपायों पर विचार करने के लिए एक कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है।

मंत्रिमण्डल की बैठक के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री, श्री श्रीकान्त शर्मा तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को बढ़ावा देने तथा प्रदेश के नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई उद्योग नीति बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। वित्त मंत्री, श्री राजेश अग्रवाल, औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री, श्री नन्द गोपाल नन्दी तथा ऊर्जा मंत्री, श्री श्रीकान्त शर्मा इस मंत्री समूह के सदस्य होंगे।

मंत्रिगण ने बताया कि मंत्री समूह बेहतर उद्योग नीतियों वाले राज्यों जैसे–गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि भ्रमण कर, इन नीतियों की बारीकियों का अध्ययन करेगा तथा सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से प्रदेश के लिए एक अच्छी उद्योग नीति बनाई जाएगी। इस कार्य के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

अवैध खनिज व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए गठित मंत्री समूह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चौहान इस मंत्री समूह के सदस्य होंगे। यह मंत्री समूह एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उपायों पर विचार करने के लिए गठित कमेटी में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री, श्री दारा सिंह चौहान शामिल हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के फैसले के लिए मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए अपनी इस भावना से उन्हें अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्र योगी आदित्यनाथ को अधिकृत करने का निर्णय भी लिया है।

अप्रैल माह में सरकार द्वारा लिए गए जनहितकारी निर्णय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में क्षतिग्रस्त विद्युत ट्रांसफॉर्मर को बदलने की नई व्यवस्था का प्रस्ताव मंजूर

किसानों के निजी नलकूप के क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर को विभागीय वाहन से 48 घण्टे में बदला जाएगा

मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में क्षतिग्रस्त विद्युत ट्रांसफॉर्मर को बदलने की नई व्यवस्था को मंजूरी प्रदान कर दी है। नवीन व्यवस्था 01 मई, 2017 से लागू की जाएगी। इस निर्णय के तहत, किसानों का विद्युत देयक बकाया नहीं होने की दशा में, उनके निजी नलकूप के क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर को विभागीय वाहन से 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था की जाएगी। जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसान को निजी नलकूप का क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर स्वयं उतार कर वर्कशॉप लाना पड़ता है।

नई व्यवस्था में विभागीय वाहन निविदा द्वारा वर्कशॉप डिवीजन में ही अनुबन्धित किए जाएंगे तथा उनके नियंत्रण में रहेंगे। सभी वाहनों में जी.पी.एस. मॉनीटरिंग सिस्टम उपलब्ध रहेगा। ट्रांसफॉर्मर के क्षतिग्रस्त होने पर विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त होने पर वर्कशॉप द्वारा जिस क्षमता का ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हुआ है उसी क्षमता का ट्रांसफॉर्मर वाहन द्वारा, ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त होने के स्थान पर भेजा जाएगा। सम्बन्धित लाइनमैन/संविदा कर्मचारी उस स्थान में सम्बन्धित फीडर का शट–डाउन लेकर उपलब्ध रहेगा। वाहन के साथ मौजूद टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित लाइनमैन/संविदा कर्मचारी के समन्वय से पुराना क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर उतार लिया जाएगा तथा मरम्मतशुदा ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर दिया जाएगा।

विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का महालेखाकर द्वारा किया जाएगा ऑडिट

विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की महालेखाकर (आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर ऑडिट) से सम्परीक्षा कराने के सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक की गई कार्यवाही से मंत्रिपरिषद को अवगत कराया गया है। कार्यवाही के तहत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सहित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन गठित प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ऑडिट कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत प्रदेश में 487 रु0 प्रति कुन्तल की दर से किसानों का एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की व्यवस्था

प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व में गठित मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही से मंत्रिपरिषद को अवगत कराया गया है। उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत प्रदेश में 487 रुपए प्रति कुन्तल की दर से किसानों का एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने के लिए शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति 07 अप्रैल, 2017 को प्राप्त हुई। इसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा क्रय एजेन्सियों–यू.पी. एग्रो, पी.सी.एफ., हॉफेड तथा उ.प्र. उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से किसानों का आलू क्रय करने का फैसला लिया गया है। किसानों से आलू क्रय करने में यदि नामित संस्थाओं को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा, जिसमें अनुमन्य ओवरहेड चार्जेज भी सम्मिलित है, किन्तु हानि क्रय लागत के 25 प्रतिशत की सीमा तक ही अनुमन्य होगी।

बाद में प्रेस वार्ता में मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आलू की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन पिछली राज्य सरकार ने समय रहते आलू उत्पादक किसानों को लाभ उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की, जिसके फलस्वरूप किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने आलू खरीद का निर्णय लिया है। सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे किसानों की मांग के अनुसार तत्काल आलू क्रय केन्द्रों की स्थापना करते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का काम करें।

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2013 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देते हुए वर्ष 2017 एवं 2018 की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 02 अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2013 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को

अधिकतम आयु सीमा में छूट देते हुए वर्ष 2017 एवं 2018 की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 02 अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि शासन द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के फलस्वरूप राज्याधीन सेवाओं में अधिकतम आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई। इसका लाभ वर्ष 2013 की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्राप्त हुआ। वर्ष 2012 में जिन अभ्यर्थियों का अंतिम अवसर था, उन्हें आयु सीमा बढ़ाए जाने के कारण, वर्ष 2017 तक प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर विद्यमान है। परन्तु वर्ष 2013 में आयु सीमा बढ़ने का लाभ उन अभ्यर्थियों को, जिनकी आयु 39 वर्ष या इससे अधिक थी, उनके लिए केवल एक अवसर वर्ष 2013 की परीक्षा सम्मिलित होने का विद्यमान रहा। इस सम्बन्ध में प्रतियोगी छात्रों/अभ्यर्थियों द्वारा लगातार की जा रही मांग के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया। प्रेस वार्ता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद के इस फैसले से लगभग 40 हजार नौजवानों को लाभ होगा।

बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के फण्डिंग पैटर्न में परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के फण्डिंग पैटर्न में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। परिवर्तन के फलस्वरूप योजना की 60 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगी तथा 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी होगी। अर्थात विगत वर्षों में प्राप्त केन्द्रीय सहायता के आधार पर औसतन 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की केन्द्र सरकार से अनुमोदित कार्य योजना के सापेक्ष अब लगभग 33 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार को वहन करनी होगी।

वित्तीय वर्ष 2016–17 से भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश के समायोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 की कार्य योजना संरचना में इस धनराशि (वर्ष 2016–17 में वांछित राज्यांश की सीमा तक) को अतिरिक्त धनराशि के रूप में जोड़ते हुए कार्य योजना तैयार कर, आगामी वर्षों में भी तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

उ.प्र. राज्य की सड़कों को 15 जून, 2017 तक गड्ढा मुक्त करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य की सड़कों को 15 जून, 2017 तक गड्ढा मुक्त करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न श्रेणी के 85,943 कि0मी0 मार्गों को 4,502 करोड़ रुपए की लागत से गड्ढा मुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई है।

मार्च, 2017 में इस प्रयोजन हेतु 282 करोड़ रुपए की धनराशि निर्गत की जा चुकी है, जबकि शेष 4,220 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3100 कि.मी. नेशनल हाइवे की मरम्मत का कार्य भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। किन्तु इस पर आने वाले व्यय की धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इस सम्बन्ध में कार्य योजना बनाकर एन.एच.ए.आई. को प्रेषित करते हुए अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त पंचायती राज, मण्डी परिषद, गन्ना एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अतिरिक्त स्थानीय नगर निकायों की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाएगा। प्रेस वार्ता में ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि इसके साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया है कि बरसात के दौरान एवं घरों से निकलने वाले पानी को सड़कों पर आने से रोकने के लिए सड़कों के किनारे ड्रेनेज सिस्टम पर भी ध्यान दिया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि पूरे प्रदेश में सड़कों की लम्बाई लगभग 2,25,885 कि0मी0 है, जिनमें 7,147 कि0मी0 राज्य मार्ग, 7,637 कि0मी0 प्रमुख जिला मार्ग, 48,006 कि0मी0 अन्य जिला मार्ग तथा लगभग 1,63,035 कि0मी0 ग्रामीण मार्ग हैं।

प्रदेश में इंसेफेलाइटिस एवं अन्य जल एवं विषाणु जनित बीमारियों के रोकथान के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में इंसेफेलाइटिस एवं अन्य जल एवं विषाणु जनित बीमारियों के रोकथान के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्णय लिया है, जिसके क्रम में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 10 बेड जे.ई./ए.ई.एस. के मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में 20 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

बाद में प्रेस वार्ता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इंसेफेलाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों को मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित रोगियों के उपचार के लिए बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत फॉगिंग एवं कीटनाशक छिड़काव तथा एण्टी लारवल स्प्रे का सतत् अनुश्रवण करने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिया गया है। मुख्यालय से भी छिड़काव के सम्बन्ध में फीडबैक प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि लगभग दो सप्ताह पूर्व ही जनपद स्तरीय अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से इस रोग से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित कराने एवं बकाया भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित कराने एवं बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

इस सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद को अवगत कराया गया

कि पेराई सत्र 2014–15 के लिए गन्ना किसानों का अवशेष देय 20,646.07 करोड़ रुपए के सापेक्ष 10 अप्रैल, 2017 तक 20,605.96 करोड़ (99.81 प्रतिशत) गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार पेराई सत्र 2015–16 के लिए देय 18,003.21 करोड़ के सापेक्ष किसानों को अब तक 17,853.11 करोड़ (99.17 प्रतिशत) रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पेराई सत्र 2016–17 की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया गया कि 10 अप्रैल, 2017 तक (अध्यासी चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति किए जाने की तिथि से 14 दिन पूर्व तक) कुल देय गन्ना मूल्य 22,630.67 करोड़ रुपए के सापेक्ष किसानों को 18,327.52 करोड़ (80.99 प्रतिशत) गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। पेराई सत्र 2016–17 अभी चल रहा है, इसलिए इस पेराई सत्र के समाप्त हो जाने के उपरान्त गन्ना मूल्य की वास्तविक देयता निर्धारित की जाएगी।

बाद में प्रेस वार्ता में मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं गन्ना आयुक्त को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि किसी भी चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान के लिए निर्धारित समय सारणी का अनुपालन न करने की दशा में सख्त कार्रवाई की जाए।

प्रदेश में बालू/मौरंग की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में बालू/मौरंग की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए तात्कालिक निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू/मौरंग आदि के पट्टे पर खनन संक्रियाएं मा. उच्च न्यायालय के आदेशों से स्थगित हैं। दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मा. उच्च न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि वर्तमान में लागू नियमावली किसी दूसरे प्रदेश से जारी परिवहन–प्रपत्र के आधार पर प्रदेश में उपखनिजों के परिवहन से मान्य नहीं करते। इसके कारण अन्य प्रदेशों से आने वाले उपखनिजों की आपूर्ति भी रुकी है, जिसके क्रम में मंत्रिपरिषद ने आज यह निर्णय लिया है।

उप मुख्यमंत्री, श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में गठित मंत्री समूह की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली के नियम–70 में संशोधन करके अन्य प्रदेशों द्वारा जारी वैध परिवहन प्रपत्र को प्रदेश में उपखनिजों के परिवहन हेतु मान्य करने का फैसला लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर पूर्व निर्धारित 01 हजार रुपए दण्ड के स्थान पर 25 हजार रुपए का दण्ड रोपित किया जाएगा।

बाद में प्रेस वार्ता में मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा प्रदेश में पर्याप्त बालू एवं मौरंग इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए मंत्री समूह का गठन किया था। मंत्री समूह ने तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो संस्तुति की है। इसके आधार पर व्यवस्था की गई है कि जिलाधिकारियों के माध्यम से मात्र 06 माह के लिए ई–निविदा के माध्यम से 10 एकड़ तक के पट्टे दिए जाएंगे। इस व्यवस्था के प्रभावी होने से पहले अन्य प्रदेशों द्वारा जारी वैध परिवहन प्रपत्र को मानने का निर्णय लिया गया है, जिससे तात्कालिक बालू/मौरंग की कमी को दूर किया जा सके। आगे मंत्री समूह के निर्णय के आधार पर दीर्घावधि नीति बनाने का निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश के हर घर को सातों दिन, चौबीसों घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार के साथ 14 अप्रैल, 2017 को साइन किए जाने हेतु निर्धारित सहमति पत्र अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के हर घर को सातों दिन, चौबीसों घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ 14 अप्रैल, 2017 को साइन किए जाने के लिए निर्धारित सहमति–पत्र को अनुमोदित कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश के सभी घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक संस्थानों एवं कृषि क्षेत्र तथा अन्य आवश्यकताओं के दृष्टिगत 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से "24"7 पावर फॉर ऑल'' योजना को लागू किया जाना है। "24"7 पावर फॉर ऑल'' का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष, 2019 के अंत तक प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना, कृषि क्षेत्र के बिजली की आपूर्ति के घण्टों को आवश्यकतानुसार प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना एवं प्रदेश के सभी असंयोजित घरों को समयबद्ध सीमा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2019 के अंत तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

वित्तीय वर्ष, 2019 में प्रदेश के प्रत्येक घर को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने में यह आंकलन है कि वित्तीय वर्ष, 2019 में 'पीक' विद्युत की आवश्यकता 18,918 मेगावॉट होगी, जो वित्तीय वर्ष, 2022 में 24,770 मेगावॉट हो जाएगी। इस कार्य हेतु पावर ग्रिड द्वारा 765/400 के.वी.ए. विभव स्तर की क्षमता 24,000 मेगावॉट से बढ़ाकर 30,500 मेगावॉट करना एवं 400 से 220 विभव स्तर को 9,615 एम.वी.ए. से बढ़ाकर 10,430 मेगावॉट करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि. द्वारा वित्तीय वर्ष, 2017–19 के बीच में ट्रांसमिशन की क्षमता 765/400 के.वी.ए. को 9000 एम.वी.ए. से बढ़ाकर 16000 एम.वी.ए. करना एवं 400 से 220 के.वी.ए. क्षमता 16,500 मेगावॉट से बढ़ाकर 24,585 मेगावॉट करना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि. द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–19 के बीच में 32 के.वी. क्षमता 29,650 एम.वी.ए. बढ़ाकर 39,040 एम.वी.ए. किया जाना प्रस्तावित है। 33 के.वी.ए. क्षमता को वर्तमान में 49,670 मेगावॉट बढ़ाकर 52,430 किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार जनरेशन में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव किए गए हैं।

मा0 राज्यपाल, श्री राम नाईक, कांशीराम स्मृति उपवन में योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए।

मा0 मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद कार्यभार ग्रहण करते हुए।